मिशन फॉर इन्टिग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ हॉर्टीकल्चरउपयोजनाराष्ट्रीय बागवानी मिशन
दिशा–निर्देश वर्ष 2015–16

केन्द्रिय प्रवर्तित योजना मिशन फॉर इन्टिग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ हॉर्टीकल्चर (MIDH) उपयोजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बागवानी फसलों– फल, सब्जियां, मसाले एवं फूल व औषधीय एवं सुगंधीय पौधों के सर्वांगिण विकास को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2005–06 से विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है। इसमें क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायुवीय स्थितियों में तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त एवं संभावना वाली बागवानी फसलों को वर्तमान एवं भविष्य की मांग को देखते हुये सघन रूप में बढ़ावा दिये जाने के प्रयास किये जा रहे है। योजनार्न्तगत बागवानी फसलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं आनुवांशिक उन्नयन के लिए उच्च प्रौद्योगिकियों को अपनाकर मुख्य रूप से उत्पादन, उत्पादकता व फसल उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा फसलोत्तर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।योजना के तहत कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16हेतु अनुदान प्रावधान अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन दिशा–निर्देश निम्नानुसार है–

सामान्य निर्देशः

- योजना कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिलेवार चयनित फसलों/आंवटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावें।
- योजनार्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन संघन क्लस्टर के रूप में किया जावें। इसके लिये कृषकों का चयन यथासम्भव समूह के रूप में किया जावें।
- योजना गतिविधियों व अनुदान प्रावधान का कृषकों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें।
- योजनार्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कृषक/लाभार्थी चयन में आधुनिक हाई–टेक फसल उत्पादन तकनीक एवं ड्रिप संयंत्र पद्धति अपनाने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
- योजना काय्रक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं को जोड़कर रखा जावें।
- योजना क्रियान्वयन में यदि संभव हो तो महात्मा गांधी नरेगा योजना से समन्वय स्थापित किया जावें।
- योजनार्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के उपनिदेशक कृषि (विस्तार)/उप निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने होंगे।
- आदान आधारित कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु स्थानीय स्तर पर कृषकों को राजकीय, सहकारी संस्थाओं से समय पर आदान आपूर्ति/उपलब्धता सुनिश्चित की जावें। जिले में कार्यरत सभी सहकारी संस्थाओं को आदान आपूर्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाकर समय पर आदानों की मांग से अवगत कराया जावें, ताकि कृषकों को सही समय पर आदान उपलब्ध हो सके।
- पौध रोपण सामग्री/बीज के अतिरिक्त अन्य सभी आदान ग्राम सेवा सहकारी समिति/क्रय–विक्रय सहकारी समिति/लेम्पस/पैकस के माध्यम से उपलब्ध कराये जावे।

- जिला कार्यालय स्तर से किसी भी संस्था से किसी प्रकार का कीटनाशी रसायन व उर्वरक क्रय कर कृषकों को उपलब्ध नहीं कराया जावे।
- योजना के तहत कृषक को आदान उपलब्ध कराने हेतु कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा परमिट/सिफारिश आदान आपूर्ति संस्था सहकारी समिति/क्रय–विक्रय सहकारी समिति/लेम्पस/पैकस को दी जावें।
- कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक की सिफारिश पर कृषक के स्वयं के द्वारा कृषक हिस्सा राशि सहकारी समिति में जमा कराकर कार्यक्रम के प्रावधान अनुसार आदान प्राप्त किये जायेंगे।
- योजना अर्न्तगत कीटनाशी रसायन कृषि विभाग द्वारा रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों में से प्राथमिकता से 'ए' व 'ब' श्रेणी पाये गये निर्माताओं के उपलब्ध कराये जावें। 'ए' व 'ब' श्रेणी के कीटनाशी रसायन निर्माताओं के पास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी की पूर्व अनुमति से ही अन्य श्रेणी के कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
- योजना अर्न्तगत कृषक द्वारा क्रय किये गये आदान का संस्था द्वारा जारी बिल के पृष्ठ भाग पर स्वयं कृषक द्वारा आदान प्राप्ती को प्रमाणित करवाकर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्राप्त करने के निर्देश आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को जारी किये जाकर पालना सुनिश्चित की जावे। सहकारी संस्थाओ द्वारा उपलब्ध कराये गये आदानों की कृषकवार सूची के साथ कृषक के हस्ताक्षरशुदा बिल अनुदान भुगतान हेतु जिला कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- अनुदान क्लेमस् का कार्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत बिल प्राप्त होने के अधिकतम एक माह में संस्था को आर.टी.जी.एस. द्वारा भुगतान सुनिश्चत किया जावें।
- कृषक सहकारी संस्थाओं से शत् प्रतिशत लागत पर आदान क्रय करके भी अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे, ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा कृषक को क्लेम्स प्राप्ति के पश्चात अधिकतम 15 दिवस में अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जावें।
- योजनार्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत अनुदान राशि लाभार्थीयों के खाते में आर.टी.जी.एस.के माध्यम से हस्तांतरित की जावे।
- योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भारत सरकार के निर्देशानुसार 16.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किये जाने की सुनिश्चित्ता करावें। यथासम्भव आवंटित बजट राशि की 30 प्रतिशत राशि महिला लाभार्थियों/कृषकों को उपलब्ध करायी जावें।
- योजनार्न्तगत सभी कार्यक्रम/गतिविधियों के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में प्राप्त करने होंगे। आवेदन पत्र पर संबंधित कृषक/संस्था/लाभार्थी का **फोटो** व जिस भूमि पर कार्यक्रम/गतिविधि ली जा रही है के**भू–स्वामित्व खसरा नम्बर** अंकित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त मृदा एवं पानी की जांचरिपोर्ट भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। यथासम्भव कृषक के मोबाईल नम्बर भी आवेदन पत्र में अकिंत करवाये जावें।
- योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। इसके लिये लाभार्थी को कानून में निर्धारित किये अनुसार उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- राष्ट्रीय बागवानी मिशन के विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान लिये जाने हेतु कृषक के पास स्वंय की भूमि होनी चाहिये। लीज पर ली गई भूमि पर कार्यक्रम लिये जाने हेतु अनुदान देय नहीं होगा।
- जिला अधिकारी आवंटित वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर सकेगें। आवंटित वित्तीय लक्ष्यों से अधिक किसी भी कार्यक्रम में प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं करें। इस हेतु यदि जिले में किसी कार्यक्रम की मांग है तो निदेशालय से अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त कर ही कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत जो भी कार्यक्रम स्थायी प्रकृति के है उन कार्यक्रम अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों की सूचि मय दूरभाष नम्बर एवं दिये गये अनुदान से संबंधित सूचना पृथक रजिस्टर में संधारित करें। इस हेतु कृषक पत्रावली में परियोजना की फोटो कृषक सहित आवश्यक रूप से लगायी जावे।
- परियोजना आधारित समस्त कार्यक्रम जिला अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को प्रस्तुत किये जावे। इस हेतु जिला अधिकारी परियोजना स्थल का निरिक्षण कर स्थल का फोटोग्रफ संलग्न कर स्पष्ट रूप से अपनी टिप्पणी अकिंत करेगें कि परियोजना नई है एवं अनुदान योग्य है।
- परियोजना आधारित कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- किसी योजना/कम्पोनेन्ट अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त पर लॉटरी निकाली जाकर लाभार्थियों की वरीयता निर्धारित की जाकर अनुदान उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जावे।
- योजना के तहत सभी लाभार्थियो की डिजीटलाइज्ड सूची तैयार की जावे तथा लाभार्थियों को अनुदान राशी बैंक खाते में हस्तांतरित की जावे।
- **योजना अर्न्तगत लाभान्वित होने वाले कृषको/लाभार्थियों को जब तक विभाग द्वारा अन्य कोई आदेश जारी नही किये जाते किसी भी गतिविधी पर राज्य योजना से कोई TOP UP अनुदान (अतिरिक्त अनुदान)देय नही होगा।**

पौध रोपण सामग्री का उत्पादन (Production of Planting Material)

उच्च गुणवत्तायुक्त बीज एवं पौध रोपण सामग्री का उत्पादन व वितरण मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। बागवानी फसलों की उच्च गुणवत्ता व अधिक उत्पादन क्षमतायुक्त किस्मों के अंतर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र लाने के लिये पौध रोपण सामग्री की जरूरत को पूरा करने हेतु निजी क्षेत्र में नयी नर्सरियों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता के प्रावधान किये गये है। नर्सरीयो की स्थापना हेतु निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है–

1. हाइटेक नर्सरीः

हाईटेक नर्सरी की लागत प्रति हेक्टेयर 25.00 लाख निर्धारित की गयी है। एक लाभार्थी को अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी स्थापना हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है। राजकीय उपक्रमों हेतु शत प्रतिशत लागत अनुदान स्वरूप देय है। जबकि निजी क्षेत्र हेतु लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 10.00 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय है। निजी क्षेत्र हेतु यह अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडिड के रूप में देय है।

इस योजना में विकसित की गयी हाई–टेक (मॉडल) नर्सरी को उच्च गुणवतायुक्त फलों के 50000 पौधे प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष वानस्पतिक प्रसारण (Vegetative Propagation) विधि से तैयार करने आवश्यक होंगे। नर्सरी पर बीज से तैयार पौधों को इसकी गणना में सम्मिलित नहीं माना जायेगा। योजना के तहत अनुदान राशि निम्न ढाचांगत सुविधाओ के विकास हेतु देय है–

1. उपयुक्त फैन्सिंग।
2. प्रतिकूल मौसम परिस्थतियों से बचाने के लिये पॉलीकवर में मातृ वृक्ष ब्लॉक का रख–रखाव।
3. नेट हाऊस में रूट स्टॉक सीडलिंग्स का उत्पादन।
4. उपयुक्त सिंचाई प्रणाली की स्थापना।
5. प्रसारण हाऊस, ट्रोपिकल पॉली हाऊस का निर्माण जिसमें साईड में वायु संचारण के लिये कीट रोधी नैटिंग, फौगिंग तथा छिड़काव की सिंचाई प्रणालियां लगी हो।
6. कीट रोधी, 35 प्रतिशत लाईट स्क्रीनिंग व सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणालीयुक्त शेडनेट हाऊस में हार्डनिंग/रख–रखाव।
7. सिंचाई हेतु पम्प हाऊस व कम से कम 2 दिन की जरूरत को पूरा करने के लिए जल भण्डारण टैंक का निर्माण।
8. मृदा उपचार के लिये बायलर्स के साथ स्टीम स्टरलाईजेशन प्रणाली।

योजनान्तर्गत स्थापित नर्सरी को पौध रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिये उन्हें राज्य स्तर पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम क्रियान्वयन ऐजेंसी राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर के निर्देशन में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से एक्रीडेशन (Accreditation) कराना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नर्सरी के क्षेत्रफल के अनुसार बुनियादी सुविधाओं के विकास का सांकेतिक मॉडल निम्नानुसार है,जिसमें नर्सरी परियोजना प्रस्ताव के अनुसार सूक्ष्म बदलाव किये जा सकते है।

कम्पोनेंट / कार्य	नर्सरी क्षेत्रफल अनुसार बुनियादी सुविधा सांकेतिक मॉडल (राशि लाख रूपयों में)							
	एक हैक्टर		दो हैक्टर		तीन हैक्टर		चार हैक्टर	
		राशि		राशि		राशि		राशि
फैन्सिंग		0.80		1.60		2.40		3.20
मातृ वृक्ष ब्लांक का रखरखाव व अन्य सहायक सुविधाये		0.75		1.50		2.25		3.00
शैडनेट हाउस (वर्गमीटर)	1000	7.10	2000	14.20	3000	21.30	4000	28.40
हाईटेक ग्रीन हाउसहाउस मयकीट रोधी नैटिंग, फौगिंग व सिंचाई प्रणालियां (वर्गमीटर)	1000	9.35	2000	18.70	3000	28.05	4000	37.40
कीट रोधी नेट हाडस (वर्गमीटर)	500	4.00	1000	8.00	1500	12.00	2000	16.00
नर्सरी उपकरण / औजार		0.50		1.00		1.50		2.00
सिंचाई सुविधा		0.50		1.00		1.50		2.00
सिचाई पम्प हाऊस व जल भण्डारण टैंक का निर्माण		1.50		3.00		4.50		6.00
मृदा उपचार– बायलर्स स्टीम स्टरलाईजेशन प्रणाली		0.50		1.00		1.50		2.00
कुल योग		**25.00**		**50.00**		**75.00**		**100.00**

2. छोटी नर्सरीः

छोटी नर्सरी की लागत प्रति हेक्टेयर 15.00 लाख निर्धारित की गयी है। एक लाभार्थी को अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी स्थापना हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है। राजकीय उपक्रमों हेतु शत प्रतिशत लागत अनुदान स्वरूप देय है। जबकि निजी क्षेत्र हेतु लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 7.50 लाख रूपये अनुदान देय है। निजी क्षेत्र हेतु यह अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडिड के रूप में देय है।

इस योजना में विकसित की गयी नर्सरी को उच्च गुणवतायुक्त फलों के 25000 पौधे प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष वानस्पतिक प्रसारण (Vegetative Propagation) विधि से तैयार करने आवश्यक होंगे। नर्सरी पर बीज से तैयार पौधों को इसकी गणना में सम्मिलित नहीं माना जायेगा। योजना के तहत अनुदान राशि निम्न ढाचांगत सुविधाओ के विकास हेतु देय है–

1. प्रतिकूल मौसम परिस्थतियों से बचाने के लिये पॉलीकवर में मातृ वृक्ष ब्लॉक का रख–रखाव।
2. नेट हाऊस में रूट स्टॉक सीडलिंग्स का उत्पादन।
3. उपयुक्त सिंचाई प्रणाली की स्थापना।
4. प्रसारण हाऊस, ट्रोपिकल पॉली हाऊस का निर्माण जिसमें साईड में वायु संचारण के लिये कीट रोधी नैटिंग, फौगिंग तथा छिड़काव की सिंचाई प्रणालियां लगी हो।
5. कीट रोधी, 35 प्रतिशत लाईट स्क्रीनिंग व सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणालीयुक्त शेडनेट हाऊस में हार्डनिंग / रख–रखाव।
6. सिंचाई हेतु पम्प हाऊस।
7. मृदा उपचार के लिये स्टरलाईजेशन प्रणाली।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नर्सरी में बुनियादी सुविधाओं के विकास का सांकेतिक मॉडल निम्नानुसार है,जिसमें नर्सरी परियोजना प्रस्ताव के अनुसार सूक्ष्म बदलाव किये जा सकते है।

कम्पोनेंट/कार्य	नर्सरी क्षेत्रफल अनुसार बुनियादी सुविधा सांकेतिक मॉडल (राशि लाख रूपयों में)	
		राशि
मातृ वृक्ष ब्लांक का रखरखाव व अन्य सहायक सुविधाये		0.80
शैडनेट हाउस (वर्गमीटर)	1000	7.10
हाईटेक ग्रीन हाउसहाउस मयकीट रोधी नैटिंग, फौगिंग व सिंचाई प्रणालियां (वर्गमीटर)	500	4.68
नर्सरी उपकरण/औजार		0.25
सिंचाई सुविधा		0.50
सिचाई पम्प हाऊस व जल भण्डारण टैंक का निर्माण		1.17
मृदा उपचार– बायलर्स स्टीम स्टरलाईजेशन प्रणाली		0.50
कुल योग		**15.00**

निजी क्षेत्र अनुदान/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रियाः

मूलभूत आवश्यकतायेंः

1. नर्सरी क्षेत्र विशेष में पौध रोपण सामग्री की आवश्यक्ता के अनुसार बहु–फलीय या किसी एक फल विशेष के लिये स्थापित की जा सकेगी। परियोजना प्रस्ताव में फलों व किस्मों के नाम को स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। नर्सरी में जिन फल पौधों का उत्पादन प्रस्तावित किया गया है वह राज्य में मिशन के लिये चयनित फसलों में से होना चाहिये।
2. नर्सरी पर उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों का मातृ वृक्ष ब्लॉक स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके लिये मातृ पौधें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों या राज्य/केन्द्र सरकार के अनुसंधान केन्द्रों से प्राप्त करने होंगे।
3. नर्सरी को पौध रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिये फलवृक्षों की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा सिफारिश की गयी उच्च गुणवत्ता व अधिक उत्पादन क्षमतायुक्त किस्मों के पौधे तैयार करने होंगे।
4. नर्सरी को मातृ वृक्ष व उत्पादित पौध रोपण सामग्री का रिकॉर्ड संधारित करके रखना होगा व इसकी प्रगति से राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, उद्यान निदेशालय, जयपुर को अवगत करवाना होगा।
5. नर्सरी के प्रस्तावों में बुनियादी ढांचें की सुविधाओं के साथ–साथ फैन्सिंग, सर्विस रोड़ (कच्ची/पक्की), आवश्यक उपकरण आदि भी सम्मिलित किये जा सकेंगे।
6. नर्सरियां बीज और रोपण सामग्री से सबंधित लागु नियमों के अंतर्गत विनियमित होगी।
7. आवेदक को प्रस्तावित नर्सरी में पौध रोपण सामग्री उत्पादन के लिये आवश्यक हाली–माली, तकनीकी जानकारी रखने वाले दक्ष व्यक्ति रखने होंगे।

8. राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी या इसके द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा नर्सरी का समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा।
9. नर्सरी द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशानुसार परियोजना प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं करने व पौधें उत्पादन कार्य बन्द करने की स्थिति में राज्य सरकार के नियमानुसार अनुदान राशि वापस ली जा सकेगी।
10. नर्सरी पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदानित का बोर्ड जिस पर स्थापना का वर्ष, कुल लागत, मातृ वृक्षों की किस्म/फसल इत्यादि की जानकारी अंकित करना होगा व प्रवेशद्वार पर पौधों की किस्मवार विक्रय दर का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
11. योजना के तहत विकसित की गई राजकीय एवं निजी नर्सरीयों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/भारतीयकृषि अनुसंधान परिषद से 18 माह के अन्दर एक्रेडिशन कराना अनिवार्य होगा।

प्रक्रियाः

1. निजी क्षेत्र में हाई–टेक (मॉडल) व छोटी नर्सरी स्थापना के लिये आवेदक (संस्था/कृषक/कम्पनी) को जमीन (Consolidatedland) के भू–स्वामित्व के दस्तावेज, विकसित की जाने वाली सुविधाओं के पूर्ण विवरण, लागत एस्टीमेट, वित्तीय विश्लेषण इत्यादि के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, शपथ–पत्र, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र के साथ जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को प्रस्तुत करने होगें। जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी अपनी अभिशंषा के साथ इन प्रस्तावों को राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, उद्यान निदेशालय, जयपुर को प्रेषित करेगी।
2. नर्सरी स्थापना के लिये बैंक ऋण अनिवार्य है, इसके लिये परियोजना प्रस्ताव के साथ परियोजना लागत की लगभग 75 प्रतिशत तक की राशि का बैंक से ऋण स्वीकृति का पत्र सलंग्न करना आवश्यक होगा।
3. आवेदक द्वारा पूर्ण परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के उपरांत राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति (LOI) जारी की जाकर आवेदक को नर्सरी के बुनियादी ढांचे की सुविधायें विकसित करने की स्वीकृति जारी की जायेगी।
4. आवेदक द्वारा बुनियादी ढांचे की सुविधायें विकसित करने का कार्य 6 माह की समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य पूर्ण होने पर जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी एवं राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (आर.एच.डी.एस.), जयपुर को अवगत कराया जायेगा। इसके उपरांत संभागीय सयुक्त/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान एवं कृषि अधिकारी उद्यान द्वारा भौतिक सत्यापन करके रिर्पोट में की गयी सिफारिश के अनुसार अनुदान राशि जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा आवेदनकर्त्ता के बैंक अनुदान आरक्षित खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
5. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात बेक एंडिड प्रक्रिया से अन्त में समायोजित की जायेगी।

बीज का बुनियादी ढांचा विकास(Seed Infrastructure)

बीजों के उचित रख–रखाव, भण्डारण तथा पैकेजिंग की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा जैसे– शुष्क प्लेटफार्म, भण्डारण बिन्स, पैकेजिंग यूनिट और इससे संबंधित उपकरण लगाये जाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। निजी क्षेत्र को क्रेडिट लिंक बेक एंडिड सब्सिडी, जो परियोजना लागत की 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 100.00 लाख प्रति लाभार्थी तक अनुदान/सहायता दी जाएगी।

1. सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिये आवश्यक मशीनरी व बुनियादी ढांचागत सुविधाएं जैसे– शुष्कन प्लेटफार्म, भण्डारण बिन्स, पैकेजिंग यूनिट और इससे सबंधित प्लांट व मशीनरी का पूर्ण विवरण, लागत एस्टीमेट, वित्तीय विश्लेषण इत्यादि के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र, भू–स्वामित्व दस्तावेज व 100/– रूपये के नानॅ ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र के साथ प्रस्ताव राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।
2. परियोजना प्रस्तावों के कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत आर.एच.डी.एस., जयपुर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।
3. सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का कार्य इस क्षेत्र में दक्षता रखने वाली अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी/निजी फर्म/कम्पनी आदि से आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर करवाये जाने होंगे।
4. बीज का बुनियादी ढांचा की सुविधाओं के विकास का कार्य पूर्ण होने पर संबंधित संस्थान द्वारा राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को कार्य पूर्ण होने की सूचना से अवगत कराते हुये निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. निजी क्षेत्र में बागवानी फसलों हेतु सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु प्लांट व मशीनरी का पूर्ण विवरण, प्रोफोमा इनवाइसेज, लागत एस्टीमेट, वित्तीय विश्लेषण इत्यादि सहित विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने होगें।
6. आवेदक को परियोजना प्रस्ताव की लागत का लगभग 75 प्रतिशत तक का ऋण लेना अनिवार्य होगा।
7. परियोजना प्रस्तावों के भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत आर.एच.डी.एस., जयपुर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी। आवेदक द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार बीज ढांचागत विकास कार्य करने होगें।
8. आवेदक द्वारा बुनियादी ढांचे की सुविधायें विकसित करने का कार्य पूर्ण करके जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी एवं राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अवगत कराया जायेगा। इसके उपरांत आर.एच.डी.एस. द्वारा गठित कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन करके रिर्पोट में की गयी सिफारिश के अनुसार जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि आवेदनकर्त्ता के बैंक अनुदान आरक्षित खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
9. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात बेक एंडिड प्रक्रिया से अंत में समायोजित की जायेगी।
10. निजी क्षेत्र में स्थापित इकाईयों पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित, स्थापित वर्ष, कुल लागत, मशीनरी का विवरण इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

नए उद्यानों की स्थापना (Establishment of new orchards):

राष्ट्रीय बागवानी मिशन अर्न्तगत कृषि जलवायुवीय स्थितियों के अनुसार जिलेवार चयनित फसलों की उन्नत किस्मों के नये क्षेत्र में उद्यानों की स्थापना हेतु विभिन्न फसलों की लागत मापदण्ड के अनुसार अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। बागवानी फसलों जैसे– फल, फूल, मसाले तथा सुगंधीय पौधो के नए फल बगीचों की स्थापना हेतु अनुदान का फसलवार विवरण निम्नानुसार है :–

I फलः

अ. अधिक मूल्य वाली फसलें यथा पपीताः

क्र. सं.	फसल का नाम	पौध रोपण अन्तराल (मी.)	पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर	सांकेतिक लागत (रूपये प्रति हैक्टेयर)	
				एकीकरण के बिना	ड्रिप सिंचाई के साथ पैकेज
1.	पपीता	1.8X1.8	2777	61655	120055
2.		1.5X1.5	4444	88660	174060

ब. सघन बागवानी फलोद्यान की स्थापनाः

क्र. सं.	फसल का नाम	पौध रोपण अन्तराल (मी.)	पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर	सांकेतिक लागत (रूपये प्रति हैक्टेयर)	
				एकीकरण के बिना	ड्रिप सिंचाई के साथ पैकेज
1.	आम	5X5	400	41000	74900
2.		4X6	416	48720	82620
3.		3X6	555	56975	90875
4.		2.5X2.5	1600	112000	170400
5.	अमरूद	3X6	555	51650	110050
6.		3X3	1111	73330	131730
7.		1.5X3	2222	111660	170060
8.	अनार	5X3	667	66680	100580
9.		5X2.5	800	80000	139000
10.		4.5X3	741	71640	105540

स. सामान्य अन्तराल वाली फसलेंः

क्र. सं.	फसल का नाम	पौध रोपण अन्तराल (मी.)	पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर	सांकेतिक लागत (रूपये प्रति हैक्टेयर)	
				एकीकरण के बिना	ड्रिप सिंचाई के साथ पैकेज
1.	आंवला	6X6	278	40008	73908
2.	बेर	6X6	278	28340	62240

3.	संतरा, मोसम्बी एवं नीम्बू	6X6	278	40008	73908
4.	अमरूद	6X6	278	38340	72240
5.	आम	10X10	100	25500	49000
6.	अनार	5X5	400	48000	81900

सहायता प्रावधानः

क्र. स.	**कम्पोनेन्ट**		**सहायता प्रावधान**
1	अधिक मूल्य वाली फसलें यथा पपीता	ड्रिप सिंचाई के साथ पैकेज	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 80,000/– प्रति हेक्टेयर । एक लाभार्थी को अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए सहायता देय है जो कि प्लान्टिंग मैटेरियल, ड्रिप सिचांई विधि एवं उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। यह सहायता कृषकों को दो किश्तों में उपलब्ध कराई जावेगी। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 75 प्रतिशत एवं द्वितिय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 25 प्रतिशत।
		एकीकरण के बिना	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 30,000/– प्रति हेक्टेयर । एक लाभार्थी को अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए सहायता देय है जो कि प्लान्टिंग मैटेरियल, उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। यह सहायता कृषकों को दो किश्तों में उपलब्ध कराई जावेगी। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 75 प्रतिशत एवं द्वितिय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 25 प्रतिशत।
2	सघन बागवानी फलोद्यान की स्थापना	ड्रिप सिंचाई के साथ पैकेज	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 60,000/– प्रति हेक्टेयर । एक लाभार्थी को अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए सहायता देय है जो कि प्लान्टिंग मैटेरियल, ड्रिप सिचांई विधि एवं उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। यह सहायता कृषकों को तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जावेगी। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत एवं द्वितिय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत।
		एकीकरण के बिना	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40,000/– प्रति हेक्टेयर । एक लाभार्थी को अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए सहायता देय है जो कि प्लान्टिंग मैटेरियल, उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। यह सहायता कृषकों को तीन किश्तों में उपलब्ध कराई

			जावेगी। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत एवं द्वितिय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत।
3	सामान्य अन्तराल वाली फसलें	ड्रिप सिंचाई के साथ पैकेज	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40,000/– प्रति हेक्टेयर । एक लाभार्थी को अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए सहायता देय है जो कि प्लान्टिंग मैटेरियल, ड्रिप सिचांई विधि एवं उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। यह सहायता कृषकों को तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जावेगी। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत एवं द्वितिय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत।
		एकीकरण के बिना	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 30,000/– प्रति हेक्टेयर । एक लाभार्थी को अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए सहायता देय है जो कि प्लान्टिंग मैटेरियल, उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। यह सहायता कृषकों को तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जावेगी। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत एवं द्वितिय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 20 प्रतिशत।
उक्त समस्त सहायता अनुसुचित जन जाति क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराई जावेगी।			

कृषक चयनः

1. कृषकों का चयन पहले 'आओ पहले पाओ' के आधार पर किया जावें।
2. फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषकों का चयन यथासम्भव समूह में किया जावें।
3. कृषकों के चयन में पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग लिया जावें एवं सभंव हो सके तो महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम से समन्वय किया जावे।
4. चयनित कृषक के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो।
5. कृषक आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक व बूंद–बूंद सिंचाई विधि अपनाने पर सहमत हो।
6. आधुनिक हाईटेक बागवानी अपनाने के इच्छुक कृषकों को चयन में प्राथमिकता दी जावें।

अनुदान प्रक्रियाः

1. नये फल बगीचों की स्थापना पर अनुदान का भुगतान फलवृक्ष वार इकाई लागत को आधार मानते हुये अनुदान राशि सीमा के अध्यधीन आर.टी.जी.एस. द्वारा सीधे

किसान के खाते में किया जाकर संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जावे।

2. इस कार्यक्रम अन्तर्गत फलदार बगीचों हेतु ड्रिप संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा एवं ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद ही कृषकों को फलदार पौधे उपलब्ध कराये जावेंगे। जिन कार्यक्रमों में बिना ड्रिप के फल बगीचों की स्थापना की जानी है उस बगीचों में राष्ट्रीय सूक्ष्म सिचांई मिशन के माध्यम से ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. प्रथम वर्ष में कृषकों को क्षेत्र के अनुसार आवश्यक पौधों से 10 प्रतिशत पौधे अधिक उपलब्ध कराये जावेंगे।
4. द्वितिय एवं तृतीय वर्ष में गैप फिलिंग हेतु पौधे उपलबध कराये जाकर फल बगीचों में पौधों की पूर्ण संख्या सुनिश्चित की जावे।
5. प्रति कृषक न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर एवं अधिकतम 4.0 हैक्टेयर क्षेत्रफल के लिये अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिये न्यूनतम सीमा 0.2 हैक्टेयर रहेगी।
6. कृषक को जिले के लिये चयनित फसल के लिये ही अनुदान देय होगा। जिलेवार चयनित फसलों का विवरण परिशिष्ट–2 पर सलंग्न है।
7. फल बगीचों की स्थापना हेतु उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त उन्नत किस्मों की पौध रोपण सामग्री उपलब्ध करायी जावें।
8. बहुवर्षीय फलदार पौधों में नीबूं के अतिरिक्त अन्य फलों के बगीचों की स्थापना में बीज से तैयार पौधे रोपण सामग्री का उपयोग नहीं किया जावें।
9. नये फल बगीचों की स्थापना हेतु प्रति इकाई निर्धारित पौधों की सख्या से 10 प्रतिशत अधिक पौधे (110%) परिवहन एवं रोपण के समय मृत्यु के पेटे दिये जावें।
10. फल बगीचों की स्थापना के लिये फसल विशेष की सिफारिश अनुसार निर्धारित दूरी पर निश्चित आकार के गड्डे खोदे जाने आवश्यक होंगे।
11. नये फल बगीचों की स्थापना में ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य रहेगा। जनजाति क्षेत्र के कृषको की छोटी जोत के मध्यनजर 0.4 हैक्टर क्षेत्र से कम क्षेत्र में बगीचे स्थापित करने वाले जनजाति कृषको को बूंद–बूंद सिचाई संयत्र की अनिवार्यता से छूट रहेगी ।
12. कृषकों को पौधें एवं गड्डा भरते समय उपलब्ध कराये जाने वाले आदान का उपयोग कृषक के द्वारा किया जावेगा। इस बाबत कृषक से एक शपथ–पत्र लिया जावेगा। अनुदान राशि का भुगतान ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद आर.टी.जी.एस. द्वारा कृषकों को किया जावेगा।
13. जो कृषक स्वयं के स्तर से आदान उपयोग में लेने में सहमत नहीं है उन कृषकों को गड्डा भरते समय उपलब्ध कराये जाने वाले आदान (उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन आदि) निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट काटकर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जावें। यह अनुदान ड्रिप संयंत्र की स्थापना के पश्चात् ही उपलब्ध कराये जावें।
14. बिना ड्रिप संयंत्र की स्थापना के किसी भी कृषक को पौधों अथवा अन्य आदानों पर अनुदान नहीं दिया जावे

15. कृषक द्वारा फल बगीचों की स्थापना हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले अनुदान आवेदन–पत्र के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई योजना में ड्रिप संयत्र के अनुदान के लिये भी आवेदन पत्र प्राप्त किया जावें।
16. द्वितीय व तृतीय वर्ष की किश्त के लिये पौधों की जीवितता का भौतिक सत्यापन परिशिष्ट–3 के अनुसार यथासम्भव मई व जून माह में किया जावेगा।
17. द्वितीय व तृतीय वर्ष की अनुदान राशि जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना के अर्न्तगत स्थापित बगीचे में द्वितीय वर्ष 75%एवं तृतीय वर्ष में 90%पौधे जीवित रहे। इसके लिये कृषकवार पौध रोपण की जीवितता का शत् प्रतिशत भौतिक सत्यापन करवाया जाकर पौध रोपण सुनिश्चत करना होगा।
18. हाई डेनसिटी प्लानटिंगमें पौध रोपण के साथ मे केनोपी मैनेजमेंट पर ध्यान देने हेतु कृषक को आवश्यक तकनिक/प्रशिक्षण दिया जायेगा।
19. सरकारी भूमि, पंचायत भूमि पर नये फल बगीचों की स्थापना पर संबंधित विभाग, पंचायत द्वारा कृषक हिस्सा राशि जमा कराने पर योजना दिशा निर्देशानुसार अनुदान/सहायता देय होगी।
20. नये फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषक के स्तर से उपयोग में लिया गया आदान गोबर की खाद (FYM) कृषक की हिस्सा राशि के रूप में स्वीकार्य होगा। गोबर की खाद की दर 1.00 रूपये प्रति किलोग्राम होगी। इसकी वास्तविक गणना स्थानीय स्तर पर की जायेगी।
21. नये स्थापित फल बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
22. फल बगीचों की स्थापना हेतु आवश्यक पौधों की व्यवस्था राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी अथवा राजहंस के माध्यम से की जाकर कृषकों को पौधें उपलब्ध कराये जावेगें।
23. यदि कोई कृषक किसी राजकीय उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि महाविद्यालयों/अर्धराजकीय, भारत सरकार की सस्ंथाऐं/अनुसंधान केन्द्र/फार्म अथवा अन्य कोई भी राजकीय संस्था से पौधे क्रय कर बगीचा लगाता है, तो उसे नियमानुसार अनुदान उपलब्ध कराया जा सकेगा।

नोटः– जिला अधिकारियों को आवंटित फसलवार लक्ष्यों में आवश्यकता होने पर वे स्वयं के स्तर पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत चयनित फसलों में से किसी भी फसल के लक्ष्यों में वृद्धि कर कुल लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। फल बगीचों की स्थापना के समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि एक ब्लॉक में कम से कम 10 हैक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचों की स्थापना की जावे। फसलवार परिवर्तित लक्ष्यों का स्वयं के स्तर पर निर्धारण कर इसकी सूचना निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें।

II. मशरूम उत्पादनः

मशरूम की खेती को बढ़ावा देने हेतु मशरूम उत्पादन, स्पॉनव कम्पोस्ट इकाई की स्थापना हेतु अनुदान प्रावधान रखे गये है। कार्यक्रमवार अनुदान प्रावधान निम्नानुसार है–

कार्यक्रम	अनुमानित लागत	देय अनुदान राशि
मशरूम उत्पादन इकाई	20.00 लाख रूपये	ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु निजी क्षेत्र कोपरियोजना लागत का40 प्रतिशत अधिकतम 8. 00 लाख रूपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान के रूप में।
स्पॉन बनाने की इकाई	15.00 लाख रूपये	निजी क्षेत्र कोपरियोजना लागत का40 प्रतिशत अधिकतम 6.00 लाख रूपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान के रूप में
कम्पोस्ट इकाई	20.00 लाख रूपये	निजी क्षेत्र कोपरियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 8.00 लाख रूपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान के रूप में

1. निजी क्षेत्र में मशरूम इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु आवश्यक मशीनरी व बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और इससे सबंधित उपकरणों व स्थापित की जाने वाली स्पॉन व कम्पोस्ट इकाईयो के विवरण सहित प्लांट व मशीनरी का पूर्ण विवरण, लागत एस्टीमेट, वित्तीय विश्लेषण इत्यादि के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र, भू–स्वामित्व दस्तावेज व शपथ–पत्र के साथ प्रस्ताव जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी के माध्यम से राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।
2. प्रस्तावों हेतु परियोजना की लागत की कुल का लगभग 75 प्रतिशत तक का ऋण लेना अनिवार्य होगा।
3. परियोजना प्रस्तावों के कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत आर.एच.डी.एस., जयपुर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी। तत्पश्चात आवेदक द्वारा इकाई स्थापना के कार्य प्रारम्भ करने होगें जो कि अधिकतम एक वर्ष मे पूर्ण किये जाने आवश्यक होगें।
4. आवेदक द्वारा बुनियादी ढाचें की सुविधायें विकसित करने का कार्य पूर्ण करके जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अवगत कराया जायेगा। इसके उपरांत आर.एच.डी.एस. द्वारा गठित कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन करके रिर्पोट में की गयी सिफारिश के अनुसार स्वीकृत की गई अनुदान राशि को जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा आवेदनकर्त्ता के बैंक अनुदान आरक्षित खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
5. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात बेक एंडिड प्रक्रिया से अंत में समायोजित की जायेगी।
6. इकाई पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित, स्थापित वर्ष, कुल लागत, मशीनरी का विवरण इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

III.फूलों के नये बगीचों की स्थापनाः

अनुदान प्रक्रियाः

1. इस कार्यक्रम अन्तर्गत कृषक को अधिकतम 2.0 हैक्टर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा। कार्यक्रम आयोजन के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल 0.10 हैक्टेयर. रहेगा। फसल एवं कृषक श्रेणीवार देय अनुदान निम्न प्रकार है–

फसल	अनुमानित लागत	कृषक वर्ग	देय अनुदान (रू. प्रति है.)
लूज फ्लावर (देसी गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, गैलार्डिया)	40,000 रू./है0	छोटे और सीमांत	लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 16,000/है.
		अन्य किसान	लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 10,000/है.

2. चयनित कृषकों को फूलों की खेती में अपनाये जाने वाली शस्य क्रियाओं, फूलों के विपणन, रख–रखाव एवं उपयोग आदि की जानकारी दी जावें। इसके लिये तकनिकी साहित्य कृषकों को उपलब्ध कराया जावें।
3. सभी आदान (बीज/प्लाटिंग मेटेरियल, खाद, उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन) विभागीय सिफारिश के अनुसार उपलब्ध कराये जावें। उर्वरक यथासम्भव कृषक के खेत की मिट्टी एवं पानी की जांच करवाकर सिफारिश अनुसार प्रयोग किये जावें।
4. अनुदान राशि सर्वप्रथम पौध रोपण सामग्री पर एवं राशि शेष रहने पर अन्य आदानों के लिये उपलब्ध करायी जावें।
5. गुलाब की पौध रोपण सामग्री की व्यवस्था निदेशालय स्तर अथवा जिला स्तर पर राजकीय नर्सरी (राजहंस) के माध्यम से की जावेगी। इसके अतिरिक्त अन्य फूल वाली फसलों की व्यवस्था निदेशालय स्तर से की जावेगी।
6. उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम उपलब्ध कराये जावें।
7. अनुदान की गणना हेतु गोबर की खाद की दर 1.00 रूपये प्रति किलो तथा वर्मी कम्पोस्ट की दर 1.50 रूपये प्रति किलो निर्धारित की गयी है। अन्य आदानों की दरें कृषि विभाग के अनुसार या क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा उपलब्ध करायी गई दर के अनुसार रहेगी।
8. अनुदान की गणना करते समय गोबर की खाद/कम्पोस्ट की कीमत को कृषक हिस्सा राशि माना जावें।
9. नये स्थापित फूलों के बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

IV.मसाला फसलों के नये बगीचो की स्थापनाः

अनुदान प्रक्रियाः

1. मसाला फसलों के नये बगीचों की स्थापना ऐसे स्थल/खेत जहां गत वर्ष उस फसल की खेती नही की गयी हो, पर करवायी जावें।
2. कार्यक्रम अर्न्तगत लाभान्वित किये जाने वाले कृषकों को फसल विशेष के लिये विभागीय पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का लीफलेट/साहित्य उपलब्ध कराया जावें।
3. एक कृषक को न्यूनतम 0.50 हैक्टेयर एवं अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र तक मसाला फसलों के नये बगीचे स्थापित करने पर अनुदान दिया जा सकेगा।
4. योजर्नान्गत उच्च उत्पादन क्षमता युक्त उन्नत बीज, समन्वित पोषक तत्व/कीट व्याधी प्रबंध इत्यादि आदानों की लागत के व्यय पर फसलवार अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
5. कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को आदानों की कुल लागत रूपये 13750/– का 40 प्रतिशतअधिकतम 5500/– रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय है।

आदान व्यवस्थाः

1. कार्यक्रम अर्न्तगत सर्वप्रथम बीज/कन्द एवं Prophylatic Measuresके रूप में लिये जाने वाले बीज उपचार के रसायन/बायो एजेंट व ऐसे उपादान जिनका प्रदर्शन किया जाना है कृषकों से 60 प्रतिशत अंशदान लेकर उपलब्ध कराये जावें।
2. अन्य सभी आदान/उपादान निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट काटकर सहकारी संस्थाओ के माध्यम से 40 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जावें।
3. जिलाधिकारी सरकारी/सहकारी संस्थाओ से स्थानीय स्तर पर समयबद्ध आदान आपूर्ति/उपलब्धता सुनिश्चित करें।
4. कृषकों द्वारा शत् प्रतिशत लागत पर उक्त संस्थाओं से आदान क्रय कर अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के द्वारा कृषकों को किया जायेगा।
5. कृषक 60 प्रतिशत अंशदान आपूर्ति संस्था को जमा कराकर आदान प्राप्त करने की स्थिति में अनुदान राशि का भुगतान संम्बंधित आपूर्ति संस्था को किया जावे।
6. कृषक को आदान उपलब्ध कराने के लिये कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी, (उद्यान/कृषि) द्वारा परमिट काटा जावें (परिशिष्ट–4)।

पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार (Rejuvenation of senile orchards):

आम, अमरूद, किन्नू और संतरा आदि की कम उत्पादकता का प्रमुख कारण पुराने और जीर्ण पेड़ों की प्रचुरता और आदान जैसे– पानी, पोषक तत्वों और कीटनाशी का निम्न स्तरीय प्रबन्धन है। एन.एच.एम. के अंतर्गत जीर्ण एवं पुराने पेड़ों को हटाकर इनके स्थान पर नए स्टाक को पुनः रोपित करने के माध्यम से उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम शुरू करने पर सहायता का प्रावधान है जिसमें निवेश, छटाई तथा पौध रोपने की तकनीकों के उचित और समेकित संयोजन पर सहायता मिलेगी।

पुराने पेड़ों के जीर्णोद्धारके लिए सहायता लागत की 50 प्रतिशत दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 2 हैक्टेयर प्रति लाभकर्ता तक सीमित रखते हुए रू. 20,000 प्रति हैक्टेयर तक अधिकतम रहेगी।

अनुदान प्रक्रिया:

1. कार्यक्रम अर्न्तगत ऐसे फल बगीचे जिनमें पर्याप्त पोषण के अभाव अथवा कीट–व्याधि के प्रकोप के कारण उत्पादकता कम हो गयी या पौधों की संख्या कम है, का जीर्णोद्धार/पुर्नस्थापन किया जायेगा।
2. इस हेतु सर्वप्रथम ऐसे बगीचे जिनकी उत्पादकता कम हो गयी है का चिन्ह्रीकरण किया जावेगा।
3. बगीचों में वांछित वृक्ष सघनता, संख्या, पर्याप्त पोषण, शस्य क्रिया प्रबंधन एवं उत्पादन गुणवत्ता में सुधार के लिये फल बगीचों की जीर्णता/कम उत्पादकता के आधार पर निर्णय किया जाकर जीर्णोद्धार/पुर्नस्थापन पर सहायता दी जायेगी।
4. जीर्णोद्धार/पुर्नस्थापन हेतु पुराने बगीचों को आर्थिक रुप से उपयोगी बनाने के लिये निम्न कार्य करवाये जा सकेंगे।
    - पुर्नरोपण एवं अन्तर रोपण के लिये पौध रोपण सामग्री।
    - पुराने वृक्षों की कटाई छंटाई एवं शस्य क्रियाओं को अपनाने के लिए।
    - उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं वृद्धि नियामक हारमोंस आदि।
    - पौध संरक्षण रसायन–रासायनिक एवं जैविक कीटनाशी, फफूंदनाशी।
    - कटाई छटाई एवं शस्य क्रियाओं के लिये उद्यानिकी टूल्स।
5. पुर्नरोपण एवं अन्तर रोपण के लिये गुणवत्ता युक्त पौध रोपण सामग्री कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य समस्त आदान कृषकों को क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति आदि के माध्यम से उपलब्ध कराये जावें।
6. आवश्यक तकनिकी कार्य कृषको के स्वंय के स्तर से जिला अधिकारियो की जानकारी में रखते हुये किये जायेगें।
7. अनुदान की गणना के लिये बगीचे में किये जाने वाले सभी कार्यों का आंकलन करके उन पर व्यय होने वाली राशि व श्रम की राशि (प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित) तय की जावें। इसमें मजदूरी व आदानों की खरीद दोनों सम्मिलित की जा सकेगी।
8. गणना की गयी राशि में से कार्यों के पेटे श्रम की राशि व गोबर की खाद पर व्यय होने वाली राशि को कृषक हिस्सा राशि मानते हुये अन्य आदान कृषक द्वारा सहकारी संस्थाओं से क्रय करने एवं उनके बिल प्रस्तुत करने पर उर्वरक, पौध

संरक्षण रसायन व अन्य आदानों की कुल राशि कृषकों को जरियेRTGS से भुगतान किया जावें। 20,000 रूपये तक प्रति हैक्टेयर की दर से अधिकतम दो हैक्टर प्रति लाभार्थी राशि अनुदान के रूप में दी जा सकेगी।

9. बगीचे के कार्यों को देखते हुये कृषकों को दी जाने वाली अनुदान की राशि को वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन किश्तों में विभक्त किया जा सकेगा।
10. फलदार पौधे के अनुसार यह कार्य एक से अधिक महीनों तक चल सकता है तथा फलदार पौधे व बगीचे की आवश्यकता के अनुरूप कार्य भी अलग–अलग हो सकते है। अतः कार्यों का शिड्यूल बनाकर कृषकों से इन कार्यों को पूर्ण करवाते हुये प्रमाणीकरण उपरांत अनुदान राशि का भुगतान RTGS से किया जावें।
11. कार्यों को पूर्ण कराने एवं आदानों के सही उपयोग की जिम्मेदारी कृषक की रहेगी। यदि कृषक कार्य नहीं करता है तो उसे दी जाने वाली अनुदान की राशि की अगली किश्त का भुगतान रोका जा सकता है, किन्तु इसके लिए पूर्ण तथ्यात्मक विवरण जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी के ध्यान में लाकर उनसे अनुमोदन पर ही रोका जाएगा।
12. योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों के बगीचों का उपनिदेशक/सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय व कृषि पर्यवेक्षक स्तर पर फसलवार, क्षेत्रवार, कृषकवार, जातिवार, श्रेणीवार पूर्ण रिकॉर्ड रजिस्टर में संधारित किया जावें।
13. जीर्णोद्वार किये गये फल बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

जलस्रोतों का विकास (Creation of water resources):

राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत बागवानी फसलों को Life saving Irrigation सुनिश्चित करने हेतु प्लास्टिक/आरसीसी लाईनिंग के साथ ऑन फार्म पौण्डस/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के माध्यम से जलस्रोत विकास पर सहायता देय है।

अ. सामूदायिक जल स्त्रोतों का विकासः

कृषक समूह द्वारा 10 हैक्टेयर क्षेत्र के कमाण्ड हेतु 100X100X3मीटर साईज के ऑन फार्म पौण्डस/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के निर्माण पर विभागीय सहायता राशि रूपये 20.00 लाख प्रति इकाई दिये जाने का प्रावधान है।

यह कार्यक्रम जहां संभव हो मनरेगा के साथ पर्याप्त कन्वरजेन्स सुनिश्चित कर क्रियान्वित किया जा सकेगा। इन जलस्रोतों को जल के कुशलतम उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के साथ भी जोड़ा जायेगा।

इसके लिए कृषक समूह/समुदाय द्वारा Owned and managed 10 हेक्टेयर क्षेत्र के कमाण्ड हेतु 100X100X3मीटर साईज के ऑन फार्म पौण्डस/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के निर्माण की लागत 20.00 लाख रूपये प्रति इकाई अनुमानित रखी गयी है। इससे छोटे आकार के ऑन फार्म पौण्डस/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के लिये कमाण्ड क्षेत्र के आधार पर यथा अनुपात आधारित (प्रोरेटा बेसिस) लागत के अध्यधीन शतप्रतिशत अनुदान देय होगा ।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सहायता प्लास्टिक (500 माइक्रोन जो कि BISमापदण्ड के अनुसार हों)/आर.सी.सी. लाईनिंग तक सीमित रहेगी। जल स्त्रोत के रखरखाव की जिम्मेदारी कृषक समूह की रहेगी।

ब. एकल जल स्त्रोत/फार्म पोण्डः

एकल कृषक को भी फार्म पौण्ड/Dug wells के माध्यम से जलस्रोत विकास पर सहायता देय होगी। इसके लिये 2 हैक्टेयर क्षेत्र के कमाण्ड एरिया के लिये 20 मीटर लम्बाई, 20 मीटर चौडाई व 3 मीटर गहराई के आकार के पोण्ड्स/Dug wellsकी इकाई लागत राशि रूपये 1.50 लाख (रूपये 125 प्रति घन मीटर की दर से) अनुमानित मानी गयी है। लाभार्थियों के लिये प्लास्टिक (300 माइक्रोन जो कि BISमापदण्ड के अनुसार हों)/आरसीसी लाईनिंग को सम्मिलित करते हुये लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। इससे छोटे आकार के पोण्ड/टैंक के लिये कमाण्ड क्षेत्र के आधार पर यथा अनुपात आधारित (प्रोरेटा बेसिस) लागत स्वीकार्य होगी। जलस्रोत के साज–संभाल की जिम्मेवारी सम्बंधित कृषक की रहेगी। है। इस निर्धारित आकार के जल स्त्रोत निर्माण हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन से 0.75 लाख रूपये लाभार्थी को उपलब्ध कराये जावेगें।

यह कार्यक्रम जहां कहीं भी संभव होगा मनरेगा के साथ पर्याप्त कन्वरजेन्स सुनिश्चित कर क्रियान्वित किया जायेगा। इन जलस्रोतों को जल के कुशलतम उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के साथ भी जोड़ा जायेगा।

ज्लस्रोतचयन प्रक्रियाः

1. जलस्रोतों निर्माण में जिले के तुलनात्मक रुप से पानी की कमी वाले क्षेत्र/ब्लॉक्स के कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
2. कृषक समूह के जलस्रोत निर्माण के लिये समूह के पास एक स्थान पर 10 हैक्टर तथा एकल कृषक के लिये कृषक के पास दो हैक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक होगा। कृषक समूह के पास एक स्थान पर इससे कम भूमि होने पर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर जल स्त्रोत का निर्माण कर सकेगा एंव आनुपातिक रूप से जल स्त्रोत का आकार भी कम किया जाकर कृषकों को सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
3. कृषक समूह के जलस्रोत निर्माण के लिये न्यूनतम कृषक संख्या कम से कम 3 रहेगी। इसके साथ ही जहां तक संयुक्त खातेदार का प्रश्न है पत्नी को समूह का सदस्य नहीं माना गया है। ऐसे में जमाबन्दी में पति व पत्नी दोनों का नाम दर्ज होने की स्थिति में दोनों में से एक को सदस्य मानते हुये जमाबन्दी के संयुक्त खाते में उल्लेखित पुत्र, पुत्री, भाई जो अलग परिवार के रूप में निवास कर रहे है उन्हें समूह का सदस्य माना जायेगा।
4. एकल कृषक/कृषक समूह के कृषको को भू–स्वामित्व के प्रमाण के रूप में जमाबन्दी (6 माह से पुरानी नही) व नक्शा ट्रेश आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करने होंगे।
5. जलस्रोत निर्माण के लिये कृषक/कृषक समूह को उनके भू–स्वामित्व के हिस्से की भूमि उपलब्ध करानी होगी।
6. कृषक समूह को जलस्रोत निर्माण के बाद वर्षा जल संचित होने पर 10 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र के लिए कम से कम 4 हैक्टर क्षेत्र में सूक्ष्म सिचांई विधियों के साथ उद्यानिकी फसलों की खेती करनी अनिवार्य होगी। कृषकों से इस आशय का अनुबंध किया जावें व इस हेतु राष्ट्रीय सूक्ष्म सिचाई मिशन के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कृषक हिस्सा राशि जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी में अग्रिम जमा की जावें।
7. कृषक समूह द्वारा जमीन के रकबे के हिसाब से जलस्रोत में पानी की हिस्सेदारी रखने व रख–रखाव/मरम्मत की करवाने की सहमती का शपथ–पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करने पर ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जावें।
8. जलस्रोत निर्माण के लिये इच्छुक कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त करके उन पर वरिष्ठता के अनुसार रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक अंकित की जावें। इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।
9. जलस्रोत निर्माण के लिये वर्षा जल की पर्याप्त आवक के अनुसार उपयुक्त साईटस् की पत्रावलियों का अतिंम चयन अनुदान/सहायता हेतु किया जावें।
10. जल स्त्रोतों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो में से वर्षा जल की आवक के अनुसार उपयुक्त साईट्स का चयन सयुक्त निदेशक/उपनिदेशक उद्यान सम्भाग की अध्यक्षता में

गठित तीन सदस्यीय कमेटी जिसमें सदस्य सचिव सम्बंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं कनिष्ठ/सहायक कृषि अभियंता सम्मिलित होंगें के द्वारा किया जावेगा।

11. व्यक्तिगत जल स्त्रोतों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये उपयुक्त साईट्स का चयन सदस्य सचिव सम्बंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी की गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा।
12. कमेटी द्वारा जिला स्तर पर प्राप्त जलस्रोत निर्माण आवेदन पत्रो की मौका स्थिति व इसके लिये आवश्यक दस्तावेज देखे जाकर पानी की आवक के आधार पर चयन की सिफारिश की जावेगी।
13. जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रो के चयन की कार्यवाही आवश्यक रूप से पूर्ण की जाकर कमेटी द्वारा उपयुक्त पायी गयी पत्रावलियां/आवेदन पत्रों को आंवटित लक्ष्यो के अनुसार जलस्रोत निर्माण की स्वीकृतियां/कार्य आदेश जारी किये जावे।
14. एकल जलस्त्रोत में काम में ली जाने वाली 300 माइक्रोन प्लास्टिक सीट एवं सामूहिक जल स्त्रोत हेतु 500 माइक्रोन प्लास्टिक सीट बी.आई.एस. मापदण्ड के अनुसार होनी चाहिए।
15. कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान राशि केवल प्लास्टिक शीट्स आर.सी.सी. लाईनिंग पर ही उपलब्ध कराई जावेगी।
16. जल स्त्रोत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कृषक समूह के यहां 100X100X3 मीटर आकार या अन्य छोटे आकार के जल स्त्रोत 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म या आर. सी.सी. लाइनिंग के साथ निर्माण पर शतप्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 20.00 लाख या प्रोरेटा आधार पर अनुदान देय है। एकल कृषक के यहाँ 20X20X3 मीटर आकार के जल स्त्रोत 300 माइक्रोन जल स्त्रोत प्लास्टिक फिल्म या आर.सी.सी. लाईनिंग साथ निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.75 लाख अनुदान देय है। योजनान्तर्गत संचालित इन कार्यक्रमों के तहत उक्तानुसार प्लास्टिक फिल्म के साथ कृषक समूह/कृषक द्वारा जल स्त्रोत निर्माण पर देय अनुदान का भुगतान निम्नानुसार तीन किश्तो में किया जाना हैः–

कार्य	सहायता
जल स्त्रोत की खुदाई पूरी होने पर	20 प्रतिशत
प्लास्टिक शीट बिछावन पूर्ण होने पर	50 प्रतिशत
जल स्त्रोत का कार्य पूर्ण होने व अन्तिम भौतिक सत्यापन पश्चात	30 प्रतिशत

17. कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों के बाद शेष आवेदन पत्र/पत्रावलियो का क्रम पूर्व में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार रखा जावे।
18. कृषक समूह द्वारा शपथ–पत्र में दी गयी सहमति की अवेहलना करने पर राज्य सरकार के नियमानुसार जलस्रोत पर व्यय की गयी राशि वसूल की जा सकेगी।
19. जल संग्रहण ढांचे मे एकत्रित वर्षा के पानी का ड्रिप, फव्वारा आदि जल बचत के साधनो के माध्यम से सदुपयोग सुनिश्चित किया जावें।

जलस्रोतनिर्माण

1. कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र के दक्ष अभियंता से जलस्रोत ढांचे का तकमीना बनवाया जाकर कृषक समूह के स्वंय के स्तर से निमार्ण कार्य करवाया जावें।
2. जलस्रोत ढांचे का निमार्ण संबधित जिलाधिकारी एवं सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा निर्धारित तकमीने के अनुसार करवाया जावें। इसके लिये समय–2 पर चयनित साईटस् का निरीक्षण किया जाकर निर्धारित मापदण्ड अनुसार गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य की सुनिश्चत्ता की जावें। जलस्रोत निर्माण का कार्य मापदण्ड अनुसार नहीं होने की स्थिति में आर.एच.डी.एस., जयपुर के ध्यान में लाया जावें।
3. जल स्त्रोत ढांचों के निर्माण के पर्यवेक्षण व माप का कार्य कृषि अभियन्ता के द्वारा करवाया जावे।
4. जल स्त्रोत निर्माण के समग्र पर्यवेक्षण का कार्य सयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान, सम्बन्धित सम्भाग के द्वारा किया जावे।
5. जलस्त्रोत निर्माण के लिए उपयोग में ली जाने वाली सामग्री में पत्थर, ईंट, सीमेन्ट, बजरी आदि का उपयोग लिया जावे।
6. सामुदायिक फार्म पोण्ड/जल संग्रहण ढांचे का निर्माण प्लास्टिक/आर.सी.सी लाईनिंग के साथ करवाया जावें।
7. जलस्रोत निर्माण मे प्रयुक्त की जाने वाली पॉलीथीन शीट्स की गुणवत्ता बी.आई.एस. मापदण्ड के अनुसार व उसके सही ढंग से बिछावन का विशेष ध्यान रखा जावें। इसके साथ ही प्रयोग की गयी पॉलीथीन शीट्स का नमूना जिला कार्यालय में सुरक्षित रखा जावें।
8. जल स्त्रोत निर्माण हेतु लगने वाले श्रम, खुदाई, काम्पेक्शन, खुदाई की मिट्टी को दूर स्थान पर ले जाकर गिराना एवं जल स्त्रोत से जुडे विभिन्न कार्य हेतु श्रम आदि जो भी लागु हो, कृषक के स्वय के स्तर से किये जावेगें। इस पर किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं है।
9. कृषकों द्वारा स्वयं के स्तर से व्यय करके आर.सी.सी. लाइनिंग के साथ निर्मित किये जाने वाले जलस्रोत कीं अनुदान राशि का भुगतान निम्नानुसार 5 किस्तों में समय समय पर प्रमाणिकरण उपरान्त किया जावे।

क्र.सं.	कार्य	सहायता
1	नींव (Foundation) में निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार फर्श का कार्य पूर्ण करने पर	30 प्रतिशत
2	जलस्रोत की चार में से एक साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
3	जलस्रोत की चार में से दूसरी साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
4	जलस्रोत की चार में से तीसरी साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
5	जलस्रोत की चार में से चौथी व अन्तिम साईड एवं जलस्रोत के चारों तरफ पैरापेट वाल पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट/पत्थर सीमेन्ट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	25 प्रतिशत

10. यदि कृषक/कृषक समूह द्वारा एक से अधिक किस्त का कार्य पूर्ण कर लिया हो तो उसे कार्य के अनुसार भुगतान किया जावे।
11. जलस्रोत निर्माण कार्य का प्रमाणिकरण संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड के अधीन कार्यरत सहायक कृषि अभियन्ता या प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से लिये गये कनिष्ठ अभियन्ता के माध्यम से किया जावे। इस कार्य के लिये सम्बन्धित जिले की होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता की सेवाएं ली जा सकती है।
12. कृषक समूह को जलस्रोत निर्माण की स्वीकृति जारी करने एवं आवश्यक मापदण्ड/प्रक्रिया से अवगत कराने के एक माह के भीतर कार्य शुरू करने की अनिवार्यता रहेगी। इस अवधि में कार्य शुरू नहीं करने पर 15 दिन का समय देकर चयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से अमल में लायी जायेगी।
13. जलस्रोत निर्माण के लिये अधिकतम अवधि 4 माह निर्धारित की जावे ताकि निर्धारित वित्तीय वर्ष में जलस्रोत का निर्माण पूर्ण करवाया जाकर लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।
14. कृषक समूह द्वारा जलस्रोत निर्माण कार्य करके अवगत कराने पर कनिष्ठ/सहायक अभियंता द्वारा कार्य के प्रमाणिकरण उपरांत एम.बी. भरकर संबंधित हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अनुदान राशि भुगतान हेतु प्रस्तुत की जावेगी। कनिष्ठ/सहायक अभियंता द्वारा एमबी भरकर प्रस्तुत करने पर अधिकतम सात दिवस में अनुदान राशि का भुगतान संबंधित कृषक समूह के बैंक खाते में केवल RTGS के माध्यम से किया जावे।
15. जलस्रोत ढांचें के चारो तरफ ढाई से तीन फीट ऊंचाई की बण्ड/दीवार/फेन्सिंग जानवरों से सुरक्षा के लिए बनाई जावें।

जलस्त्रोत भौतिक सत्यापनः

1. सामूहिक जलस्रोत निमार्ण के पूर्ण होने पर संयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान, संभाग, सदस्य सचिव सम्बंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं कनिष्ठ/सहायक अभियंता कृषि की तीन सदस्यीय कमेटी के द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावें।
2. व्यक्तिगत जल स्त्रोत का निर्माण के पूर्ण होने पर सदस्य सचिव, जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
3. भौतिक सत्यापन के उपरांत जलस्रोत का निर्माण कार्य पूर्ण पाये जाने पर कमेटी द्वारा की गयी रिपोर्ट के बाद अनुदान राशि की अतिंम किश्त का भुगतान किया जावे।
4. जलस्रोत पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

संरक्षित कृषि (Protected Cultivation)

कृषि जलवायुवीय कारक– तापक्रम, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियों, फूलों व फलों आदि उद्यानिकी फसलों की विशेष प्रकार से निर्मित ढांचों में खेती करके वर्ष भर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिये कृषकों को आधुनिक हाईटेक पद्धतियों– ग्रीन हाऊस, शैडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल्स, एन्टी बर्ड नेट,तथा संरक्षित संरचना में अधिक मूल्य वाली सब्जियों एवं फूलों के बीज/पौध रोपण सामग्री के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

(क) ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाऊस स्थापनाः

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहतहाईटेक ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाऊस निर्माण की अधिकतम इकाई लागत निम्नानुसार निर्धारित की गई है–

क्र. सं.	कार्यक्रम	आकार (वर्ग मीटर में)	इकाई लागत (राशि रुपये प्रति वर्गमीटर)
1	**ग्रीन हाऊस**		
	अ) फेन एण्ड पेड सिस्टम	(i) 500	1650
		(ii)>500-1008	1465
		(iii) >1008-2080	1420
		(iv) >2080-4000	1400
	ब) प्राकृतिक वातावरण युक्त संरचना		
	टयूबुलर संरचना	(i) 500	1060
		(ii) >500-1008	935
		(iii) >1008-2080	890
		(iv) >2080-4000	844
2	**शेडनेट हाऊस**		
	टयूबुलर संरचना	(i) 1000-4000	710

उपरोक्तानुसार निर्धारित इकाई लागत के अनुसारराजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन अनुसार ग्रीन हाउस (पाली हाउस)एवं शेडनेट हाऊस के ढॉचे व आवश्यक सुविधाओ का निर्माण तथा सिंचाई सुविधाओं का विकास सम्मिलित है। इसके लिये कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है।

ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माणपर अनुदान प्रक्रियाः

1. कृषक/संस्था/कम्पनी जो ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस लगाकर उद्यानिकी फसल उत्पादन लेना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जा सकेगा।
2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा।
3. ग्रीन हाऊस की निर्माण जिसमें सिंचाई सुविधाऐं भी सम्मिलित रहेगी। शेडनेट हाउस हेतु निर्माण जिसमें सिंचाई सुविधायें,पम्प एवं मल्चिंग की लागत सम्मिलित है(मापदण्ड संलग्नपरिशिष्ठ 5)।

4. अनुदान राशि ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के पश्चात संभागीय सयुंक्त/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान एवं कृषि अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण उपरांत निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाये जाने परइस संयुक्त कमेटी की रिर्पोट के अध्यधीन उपलब्ध करायी जायेगी।
5. ग्रीन हाऊस (पाली हाउस)/शेडनेट हाउस का निर्माण राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा रजिस्टर्ड की गयी (Empanelled) फर्मो से इस हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन अनुसार करवाये जाने पर ही देय होगा। ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस का निर्माण पंजीकृत फर्मों में से किसी भी फर्म से करवाये जाने पर ही अनुदान देय होगा।
6. अनुदानित योजनाओं में कृषि व बागवानी के लिए उपयोग किये जाने वाले शैडनेटस BIS मापदण्ड नं. IS 16008:2012 का उपयोग किया जावें।
7. ग्रीन हाउस/शेड नेट हाउस हेतु कृषक की सुविधानुसार उपयुक्त फसल के चयन के पश्चात उससे आवश्यक कृषक हिस्सा राशि प्राप्त कर कृषक को सब्जियों/फूल की पौध रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जावे।
8. किसी भी लाभार्थी को जो कि ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस लगाना चाहता है उसे बैंक से ऋण लेने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी।
9. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना–पत्र के साथ कृषक को भूमि संबंधी दस्तावेज, लघु सीमान्त का प्रमाण–पत्र, मिट्टी व पानी की रिपोर्ट एवं कम्पनी का कोटेशन प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
10. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण पत्रावली पर कृषक का ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
11. यदि किसी कृषक को बैंक से ऋण की आवश्यकता हो तो इसके लिए एलओआई उप/सहायक निदेशक उद्यान अपने स्तर से ही दे सकेंगे। बैंक द्वारा ग्रीन हाऊस का पूरा ऋण देने की आवश्यकता नहीं है। केवल कृषक हिस्सा राशि पर ही ऋण दिया जायेगा। क्योंकि अनुदान की राशि सीधे कम्पनी को ही दिये जाने का प्रावधान है।
12. अनुदान का भुगतान लाभार्थी की लिखित सहमति के आधार पर सीधे ही ग्रीन हाऊस निर्माण करने वाली कम्पनी को किया जा सकेगा।
13. कृषक द्वारा ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण से पूर्व में कृषक हिस्सा राशि कम्पनी को जमा कराई जा सकती है जिसकी कम्पनी द्वारा उसकी प्राप्ति रसीद कृषक को दी जावेगी तथा एक फोटो प्रति जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को भी प्रस्तुत की जावेगी। इसके अतिरिक्त कृषक द्वारा हिस्सा राशि संबंधित होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को भी जमा कराई जा सकती है।
14. कृषक द्वारा ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने की सूचना के साथ पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत अधिकतम एक माह में भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाकर अनुदान का निस्तारण करना होगा।
15. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस का निर्माण व तकनीक अभी प्रारम्भिक अवस्था में है कृषक को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में जिलाधिकारी द्वारा ग्रीन हाऊस निर्माण के इच्छुक कृषकों के नाम से रजिस्टर संधारित करके रखा जावें तथा

प्रत्येक 15 दिवस में उनसे सम्पर्क कर मार्गदर्शन दिया जावें। जहां ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस लग रहा है उस क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक (उद्यान/कृषि) की जिम्मेदारी होगी कि वह कृषक से निरन्तर सम्पर्क में रहे ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का तुरन्त समाधान किया जाकर ग्रीन हाऊस योजना की सफलता सुनिश्चित की जा सके।

16. ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण प्रक्रियाः

1. आवेदक द्वारा अपने निम्न दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन प्रार्थना–पत्र संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करने होगें ।
   - ❖ मिट्टी एवं पानी की जांच रिर्पोट।
   - ❖ पंजीकृत कम्पनियों में से किसी एक कम्पनी का नाम जिससे वह ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस लगवाना चाहता है।
   - ❖ ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस के निर्माण पर निर्धारित मापदण्ड अनुसार होने वाले व्यय के विस्तृत विवरण के साथ कृषक द्वारा चयनित फर्म का कोटेशन/इनवाइस।
   - ❖ फसल का नाम जिसकी वह ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस में खेती करना चाहता है।
2. कृषक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर इसका रजिस्ट्रेशन किया जायेगा व कृषक को उसके रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक की जानकारी दी जावेगी।
3. कृषक को कृषक हिस्सा राशि अपने स्तर से कम्पनी को देनी होगी। इसके लिये प्रार्थना–पत्र के साथ कम्पनी द्वारा कृषक हिस्सा राशि की रसीद लगानी होगी। जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी में यदि कृषक हिस्सा राशि जमा कराई जाती है तो विभागीय रसीद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
4. आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण की स्वीकृति जारी की जावेगी। स्वीकृति आदेश में कृषक का रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक अंकित किया जायेगा व इसकी प्रति राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. जिला कार्यालय से स्वीकृति जारी होने के पश्चात् चयनित कम्पनी द्वारा साइट पर आपूर्ति की गयी ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस निर्माण सामग्री की सूचना लिखित में जिला कार्यालय व कृषक दोनों को देनी होगी।जिला अधिकारी द्वारा अधिकतम एक सप्ताह में मौके पर जाकर ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस निर्माण सामग्री की मापदण्ड अनुसार होने की जांच की जायेगी।
6. सम्बंधित फर्म द्वारा कार्य आदेश जारी किये जाने के अधिकतम 30 दिवस में कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री पहूचॉना सुनिश्चित कर जिला अधिकारी को सुचित करेगें। यदि 30 दिवस में फर्म द्वारा निर्माण सामग्री की कार्य स्थल पर आपूर्ति नहीं की जाती है तो जिला अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त की जावेगी एवं कृषक की सहमति पर अन्य फर्म से कार्य करवाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति /कार्यालय आदेश जारी किया जावेगा।

7. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस का निर्माण स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के अधिकतम 90 दिवस मेंपूर्ण कर संबंधित कार्यालय में सूचित करना होगा। इससे देरी किये जाने पर सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अन्तर्गत शास्ति (Penalty) लगायी जावेगी। नियमानुसार शास्ति हेतु जिला अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें।
8. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के पश्चात संभागीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान एवं कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावेगा।
9. भौतिक सत्यापन के समय ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस पूर्ण रूप से निर्मित हो उसमें आधुनिक सिंचाई पद्धति व निर्धारित मापदण्ड अनुसार अन्य सभी सुविधायें विकसित की हुयी पाये जाने पर कमेटी रिपोर्ट के अध्यधीन अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
10. भौतिक सत्यापन के पश्चात अनुदान राशि का भुगतान कृषक की सहमति पर सीधें ही निर्माता कम्पनी को किया जायेगा।

(ख) प्लास्टिक मल्चिंगः

उद्यानिकी फसलों में खरपतवार नियन्त्रण, जल के कुशलतम उपयोग एवं फसल उत्पाद की गुणवत्ता बढाये जाने हेतु प्लास्टिक मल्चिंग के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये योजना अर्न्तगत प्लास्टिक मल्च की लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 16000/– प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।

इस हेतु कृषक क्षेत्र पर प्रति हेक्टेयर प्रयोग की गई मल्च शीट की लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 16000/– जो भी कम हो, कृषक को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जावेगा।

(ग) प्लास्टिक टनलः

उद्यानिकी फसलों को शीत के प्रकोप से बचाने एवं गर्मी की फसल को अग्रिम लिये जाने हेतु प्लास्टिक टनल के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये योजना अर्न्तगत प्लास्टिक टनल की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 30/– प्रति वर्गमीटर की दर से अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 1000 वर्गमीटर हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है। इस हेतु विभागीय मापदण्ड परिशिष्ठ 5 पर संलग्न है।

(घ) एन्टी बर्ड नेटः

उद्यानिकी फसलों में पक्षियों द्वारा फलों में होने वाले नुकसान को कम कर उत्पादकता बढाये जाने हेतु एन्टी बर्ड नेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये योजना अर्न्तगत एन्टी बर्ड नेट की लागत 35 रूपये प्रति वर्ग मीटर पर 50 प्रतिशत राशि रूपये 17.50/– प्रति वर्ग मीटर की दर से अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 5000 वर्ग मीटर तक के लिये अनुदान देय है।

अनुदान प्रक्रियाः

1. कृषक द्वारा अनुदान हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
2. एन्टी बर्ड नेट की स्थापना से पूर्व कृषक के पास स्वयं का फल बगीचा होना चाहिये जिस पर वह एन्टी बर्ड नेट लगाना चाहता है।
3. कृषक/संस्था को एन्टी बर्ड नेट एवं प्लास्टिक टनल हेतु आवश्यक ढांचा अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे से तैयार करना होगा जो कि स्थायी प्रवृति का होगा।
4. एन्टी बर्ड नेट/प्लास्टिक मल्च/प्लास्टिक टनल विभाग द्वारा पंजीकृत फर्मो में से किसी भी फर्म से लगवाया जा सकता है। विभाग द्वारा पंजीकृत फर्मो के स्थान पर अन्य फर्म से लगवाये जाने पर योजनान्तर्गत अनुदान देय नहीं होगा।
5. एन्टी बर्ड नेट/प्लास्टिक मल्च/प्लास्टिक टनल लगवाये जाने हेतु कृषक को प्रार्थना पत्र के साथ कृषक हिस्सा राशि जमा कराई जानी अनिवार्य होगी एवं फर्म का कोटेशन भी लगाना अनिवार्य होगा।
6. इसके पश्चात जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी। तत्पश्चात कृषक द्वारा एन्टी बर्ड नेट/प्लास्टिक मल्च/प्लास्टिक टनल लगवाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
7. कार्य पूर्ण होने की सूचना जिला कार्यालय को देने के उपरान्त जिला अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन किया जावेगा एवं भौतिक सत्यापन के उपरान्त कृषक का सहमति पत्र प्राप्त होने की दशा में अनुदान राशि सीधें ही पंजीकृत फर्म को दी जा सकेगी।
8. कृषक द्वारा स्वयं के स्तर से एन्टी बर्ड नेट/प्लास्टिक मल्च/प्लास्टिक टनललगवाये जाने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को RTGS के माध्यम से किया जा सकेगा। उक्त अनुदान राशि का भुगतान कृषक से बिल प्राप्त होने के 15 दिवस में किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड.) पोली हाउस(ग्रीन हाउस)में अधिक मूल्य वाली सब्जियों एवं फूलों की पौध रोपण सामग्री पर अनुदानः

हाई टेक उद्यानिकी को अपनाने वाले कृषकों को पोली हाउस (ग्रीन हाउस) की स्थापना के साथ–साथ अधिक मूल्य वाली सब्जियों एवं पोली हाउस/शेडनेट हाउसमें फूलों की पौध रोपण सामग्री पर भी अनुदान देय है ताकि कृषक पोली हाउस/शेडनेट हाउसमें सब्जियों एवं फूलों की नवीन किस्मों/हाईब्रिड किस्मों की खेती कर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सके। इस कार्यक्रम अन्तर्गत टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, चैरी टमाटर, करेला, जरबेरा, कारनेशन, गुलाब आदि फसलों की पौध रोपण सामग्री पर अनुदान देय है।

योजना अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान देय है–

(1) **सब्जियों की पौध रोपण सामग्री/बीजः** इस कार्यक्रम अन्तर्गत सब्जियों के बीजों/पौध रोपण सामग्री की कीमत 140/– रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की

गई है जिस पर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 4000 वर्गमीटर तक अनुदान देय है।

अनुदान की गणना हेतु प्रति वर्गमीटर अथवा प्रति हजार वर्ग मीटर सब्जियो के बीज की आवश्यक मात्रा की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 70/– प्रति वर्गमीटर, जो भी कम हो, की दर से कृषक को अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा।

(2) **फूलों की पौध रोपण सामग्रीः** इस कार्यक्रम अन्तर्गत कारनेशन एवं जरबेरा फूलों की पौध रोपण सामग्री की कीमत 610/– रूपये वर्गमीटर एवं गुलाब की पौध रोपण सामग्री की कीमत 426/– रूपये वर्गमीटर निर्धारित की गई है जिस पर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 4000 वर्गमीटर तक अनुदान देय है।

अनुदान की गणना हेतु प्रति वर्गमीटर अथवा प्रति हजार वर्ग मीटर फूलों के पौधों की आवश्यक संख्या की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 305/– प्रति वर्गमीटर (जरबेरा एवं कारनेशन) तथा राशि रूपये 213/– प्रति वर्गमीटर (गुलाब हेतु)जो भी कम हो, की दर से कृषक को अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा।

अनुदान प्रक्रियाः

1. उद्यानिकी फसल उत्पादन के लियें कृषक/संस्था/कम्पनी को उपरोक्तानुसार अनुदान देय है। लाभार्थी के पास स्वयं का ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस होना आवश्यक है।
2. कृषक/संस्था/कम्पनी द्वारा अनुदान/सहायता हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
3. पौध रोपण सामग्री कृषक द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, सम्बद्व कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, राजहन्स नर्सरी, राजस्थान ओलिव कन्टीवेशन लिमिटेड, केन्द्र/राज्य सरकार एवं अन्य राजकीय संस्था अथवा विभाग द्वारा पंजीकृत फर्मो में से किसी भी फर्म से प्राप्त की जा सकती है। इनके अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से पौध रोपण सामग्री लिये जाने पर योजनान्तर्गत अनुदान देय नहीं होगा।
4. सब्जियों एवं फूलों की पौधरोपण सामग्री प्राप्त किये जाने हेतु कृषक को प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक कृषक हिस्सा राशि जमा कराई जानी अनिवार्य होगी एवं जिस संस्था/फर्म से पौध रोपण सामग्री ली जानी है उस फर्म का कोटेशन भी लगाना अनिवार्य होगा।
5. इसके पश्चात जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर आपूर्ति सस्था/फर्म को पौध रोपण सामग्री की संबंधित कृषक को आपूर्ति हेतु आवश्यक आदेश जारी किया जावेगा।
6. पौध रोपण सामग्री आपूर्ति होने के पश्चात एंव उनका रोपण होने के पश्चात आपूर्ति संस्था/फर्म को कृषक की सहमति के उपरान्त अनुदान राशि एवं कृषक हिस्सा राशि का भुगतान किया जावेगा।

7. कृषक द्वारा स्वयं के स्तर से विभागीय पंजीकृत संस्था/फर्म से पौध रोपण सामग्री क्रय करने के पश्चात एवं उनका भौतिक सत्यापन किये जाने के उपरान्त कृषक को मूल बिल प्रस्तुत करने के 15 दिवस में सीधें ही अनुदान राशि का भुगतान आर.टी. जी.एस. के माध्यम से किया जायेगा।
8. योजना के अन्तर्गत एक कृषक एक वर्ष में एक बार ही सब्जियों की पौध रोपण सामग्री पर अनुदान लेने की लिए पात्र होगा। जबकि जरबेरा, कारनेशन एवं गुलाब की पौधरोपण सामग्री के लिए एक कृषक फसल अवधि के पश्चात ही पुनः अनुदान लेने के लिए पात्र होगा।

समन्वित कीट/पौषक तत्व प्रबधंन को बढ़ावा देना (IPM/INM):

उद्यानिकी फसलों में समन्वित कीट/पौषक तत्व प्रबधंनको बढावा देने हेतु आईएनएम/आईपीएम कार्यक्रम के लिए कुल लागत की 30 प्रतिशत सहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा रू. 1200 प्रति हैक्टेयर तथा यह 4 हैक्टेयर प्रति लाभकर्ता तक सीमित रहेगी।

समन्वित पौषक तत्व प्रबन्धन हेतु राईजोबियम/एजोस्पाईरिलम/एजेटोबेक्टर, पी.एस.बी., पोटाश मोबिलाईजिंग बैक्टीरिया (के.एम.बी.) के प्रयोग पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 300/– प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 4 हैक्टेयर हेतु अनुदान देय है।

(क) समन्वित कीट प्रबंधनः

अनुदान प्रक्रियाः

1. समन्वित कीट प्रबन्धन हेतु आदानो की लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 1200 प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा।
2. समन्वित पौषक तत्व प्रबन्धन हेतु आदानों की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 300/– प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय है।
3. एक कृषक को अधिकतम 4 हैक्टेयर तक अनुदान दिया जा सकेगा।
4. एक कृषक समन्वित कीट प्रबन्धन तथा समन्वित पौषक तत्व प्रबन्धन हेतु अनुदान का पात्र है किन्तु एक कृषक को अधिकतम 1200 रूपये प्रति हेक्टेयर से अधिक अनुदान देय नहीं होगा।
5. प्रमुख उद्यानिकी फसलों की आई.पी.एम. सिफारिशें एवं सांकेतिक लागत मोड्यूल परिशिष्ट 6 एवं परिशिष्ट 7 पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय समस्या आधारित आई.पी.एम. मोड्यूल जिले/संभाग में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/विभागीय ग्राह्य परीक्षण केन्द्र के वैज्ञानिकों की सिफारिश के आधार पर बनाकर क्रियान्वित किये जा सकेगें।
6. कृषकों को फसल विशेष के लिये आई.पी.एम. मोड्यूल के विवरण का साहित्य/लीफलेट उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. आई.पी.एम. मोड्यूल में बायोपेस्टीसाईडस जैसे बेसीलस थुरिन्जेन्सिस, एन.पी.वी., ट्राईकोकार्ड्स, ट्राईकोडरमा, नीम आधारित कीटनाशी, फिरोमोन ट्रेप, लाईट ट्रेप आदि पर अनुदान उपलब्ध कराया जावें।
8. बायोपेस्टीसाईड आदानों से कीट व्याधि प्रबन्धन नहीं होने की स्थिति में ही कीटनाशी रसायनों पर अनुदान उपलब्ध कराया जावें।
9. आदान व्यवस्था निम्नानुसार की जावें–
   - जिलाधिकारी सरकारी/सहकारी संस्था से स्थानीय स्तर पर समयबद्ध आदान आपूर्ति/उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि कृषक शत् प्रतिशत लागत पर वहां से आदान क्रय कर अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत कर सके। ऐसे में विभाग द्वारा कृषक को अनुदान राशि का आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया जायेगा अथवा कृषक 70 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत अंशदान आपूर्ति संस्था को

जमा कराकर सीधे ही आदान प्राप्त करें, इस स्थिति में अनुदान का भुगतान आपूर्ति संस्था को किया जावेगा।

- ❖ कृषक को आदान उपलब्ध कराने के लिए कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा परमिट काटा जावेगा (परिशिष्ट–4)।

10. निर्धारित भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वित्तीय बचत की स्थिति में भौतिक लक्ष्य बढ़ाकर वित्तीय लक्ष्यों की शत् प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जावें।

जैविक खेती (Organic Farming):

विश्वस्तर पर जैविक विधी से उत्पादित खाद्य सामग्री की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुये उद्यानिकी फसलों में जैविक खेती को अपनाने के लिये प्रति हैक्टेयर 10,000 रूपये सहायता का प्रावधान है जिसकी अधिकतम सीमा 4 हैक्टेयर प्रति लाभकर्ता है। योजनान्तर्गत जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण हेतु 50 हैक्टेयर क्षेत्र के किसानों के समूह के लिये परियोजना प्रस्ताव आधारित 5.00 लाख रू. की अधिकतम सहायता दिये जाने का प्रावधान उपलब्ध है।

कृषक चयनः

1. कृषक के पास स्वयं की भूमि (कम से कम एक हैक्टेयर), पर्याप्त पशुधन, पानी एवं कार्बनिक पद्धार्थ की उपलब्धता हो।
2. जैविक खेती कार्यक्रम में जैविक गांव व जैविक खेती से जुड़े कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
3. कृषक लगातार तीन वर्ष तक चयनित खेत में जैविक विधि से फसल उत्पादन लेने पर सहमत हो।
4. कृषक जैविक खेती के लिए चयनित खेत में फसल चक्र की सभी फसलों को जैविक कृषि क्रियाओं के आधार पर लेने पर सहमत हो।
5. कृषक जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिये प्रमाणीकरण संस्था से जुड़ने के लिये सहमत हो।

अनुदान प्रक्रियाः

1. जैविक खेती कार्यक्रम सामान्यतया 50 हैक्टेयर क्षेत्र के कृषक समूह में लिया जाना होगा।
2. जैविक खेती अपनाने पर जैविक आदानों की इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा।
3. एक कृषक को अधिकतम 4.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जा सकेगा।
4. प्रस्तावित अनुदान निम्नानुसार तीन चरणों में उपलब्ध कराया जावेगा–
   - ❖ प्रथम किश्त– प्रथम वर्ष में 4000रूपये प्रति हैक्टेयर
   - ❖ द्वितीय किश्त– दूसरे वर्ष में 3000 रूपये प्रति हैक्टेयर
   - ❖ तीसरी किश्त– तीसरे वर्ष में 3000 रूपये प्रति हैक्टेयर
5. कृषकों को अनुदान का भुगतान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संस्था से जैविक कृषि क्रियायें अपनाये जाने के सत्यापन के पश्चात् किया जावें।
6. कृषकों को अनुदान का भुगतान एक मुश्त RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा। इसमें कृषक के लिये आदानों के बिलों की कोई बाध्यता नहीं रहेगी।
7. जैविक खेती कार्यक्रम के निर्धारित खेत के चारों तरफ बफ्र जोन रखा जावें।
8. जैविक खेती कार्यक्रम तीन वर्ष पश्चात् जैविक उत्पाद की श्रेणी में आता है। अतः कृषक से साधारण पत्र पर अनुबंध किया जावें (परिशिष्ट 8)।

9. जैविक खेती का यह मौलिक नियम है कि आदान के रूप में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जावें तथा सिंथेटिक आदान के उपयोग को प्रतिबंधित किया जावें। इसके लिये काम में लिये जा सकने वाले सांकेतिक आदान निम्नानुसार है–
   - ❖ वर्मी कम्पोस्ट/कम्पोस्ट/गोबर की खाद
   - ❖ हरी खाद
   - ❖ जीवाणु खाद
   - ❖ नीम केक
   - ❖ जिप्सम
   - ❖ नीम आधारित प्रिपरेशन्स
   - ❖ बीटी/एनपीवी
   - ❖ बायो एजेन्ट्स
   - ❖ ट्राइकोडर्मा
   - ❖ मल्चिंग (प्राकृतिक स्रोत से)
   - ❖ रॉक फास्फेट
   - ❖ फेरोमेंन ट्रेप्स
   - ❖ प्रकाश पॉश
   - ❖ एल्गल प्रिपरेशन्स (नील हरित शैवाल)
   - ❖ लाइम सल्फर
   - ❖ वनस्पति आधारित रिपेलेन्ट्स
   - ❖ वनस्पति एवं एनिमल आयल्स
   - ❖ बोयोडायनेमिक प्रिपरेशन्स
   - ❖ कापर साल्ट
10. जहां तक संभव हो कृषक अपने खेत पर(On farm) बनायी गयी खाद का ही उपयोग करें।
11. कार्यक्रम के क्रियान्वयन में यथासंभव निर्धारित मापदण्डानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किया जावें।

नोटः–1.उक्त बताये गये आदान सांकेतिक है यदि इन आदानों के अलावा भी अन्य कोईजैविक आदान उपयुक्त समझा जावें तो काम में लिये जा सकते है, लेकिन वे हर हालत में जैविक प्रकृति के होने आवश्यक होंगे।

2. जैविक खेती कार्यक्रम स्थल पर बोर्ड लगाकर अपनाई जा रही कृषि क्रियाओं का विवरण दर्शाया जावें।

वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना :

वर्मी कम्पोस्ट की स्थापना हेतु निम्न अनुसार विभागीय अनुदान देय हैः–

कृषक चयनः

1. कृषक के पास स्वयं की भूमि, जिस पर उद्यानिकी फसलों की खेती की जा रही हो, होना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त पशुधन, पानी एवं कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता होनी चाहिये।
2. कृषक के पास न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर भूमि स्वयं की होनी चाहिये।
3. जैविक खेती के लिये चयनित कृषक/क्षेत्र के कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
4. कृषक द्वारा वर्मीकम्पोस्ट इकाई की स्थापना हेतु अन्य किसी योजना व विभागों से पूर्व में अनुदान प्राप्त किया हुआ नहीं हो।

अनुदान प्रक्रियाः

(क) स्थायी संरचनाः

1. स्थायी संरचना की वर्मी कम्पोस्ट इकाई की लागत 100000/– रूपये निर्धारित की गई है जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान देय है।
2. वर्मी कम्पोस्टइकाई की स्थापना के लिये 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट इकाई के आकार में निर्मित की जावेगी। जिस पर स्थायी प्रकृति की शेड/छाया की व्यवस्था की जावें।
3. वर्मी कम्पोस्टइकाई के लिये छाया वर्मी बैड को तेज रोशनी एवं बरसात के पानी से बचाना हेतु शेड की ऊंचाई एवं भार इस प्रकार की जावे की शेड के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। उचित होगा कि शेड की ऊंचाई बीच में कम से कम 10 फिट और किनारे पर 8 फिट हो।
4. शेड में काम में आने वाली सामग्री स्थानीय उपलब्धता के अनुसार स्टील, एस्बेस्टास शीट, पट्टी से बनायी जा सकती है। इसके लिये स्थाई प्रकृति की छाया सामग्री उपयोग में ली जावें।
5. वर्मी कम्पोस्टइकाई के लिये 15 फीट लम्बी, 3 फीट चौड़ी बेड्स तैयार की जावें। बेड्स के चारों तरफ ईटों की दोहरी दीवार बनाई जावें।
6. प्रत्येक शेड में उक्त आकार की कम से कम 4 बेड्स बनाई जावें व बेड्स का तल कच्चा रखा जावें।
7. प्रत्येक बेड में 10 किलो केंचुएं छोड़े जावें। इस प्रकार एक इकाई के लिये कम 60 किलों केंचुए उपलब्ध कराये जावें।
8. केचुएं एटीसी, रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्थान/गौशाला आदि से ही प्राप्त किये जावें।
9. प्रत्येक बेड में 400–400 ग्राम ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजोटोबेक्टर कल्चर एवं 1.0 किलोग्राम नीम की खल प्रयोग में ली जावें।
10. वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिये सहायक सामग्री जैसे– कुट्टी की मशीन, दांतली, पंजा झाजा, पाईप, फावड़ा, परात आदि उपकरण भी उपलब्ध कराये जावें।

11. जिला अधिकारी या उसके प्रतिनिधि कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा इकाई के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान जारी किया जावें।
12. आवेदक को अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम सेकिया जावें।
13. वर्मी कम्पोस्ट इकाई को कम से कम तीन वर्ष तक नियमित रूप से चलाये रखने के लिये 10 रूपये के स्टाम्प पर का शपथ–पत्र लिया जावें।
14. अनुदानित इकाई स्थल पर स्थाई रूप से कृषक का नाम, पिता का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत अनुदानित वर्मी कम्पोस्ट इकाई एवं अनुदानित वर्ष अंकित कराया जावें। कार्यशील इकाई का फोटोग्राफ कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित करके रखा जावें।

(ख) एच.डी.पी.ई वर्मी बेडः

1. एच.डी.पी.ईवर्मी बेड की लागत 16000/– रूपये निर्धारित की गई है जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान देय है।
2. एच.डी.पी.ईवर्मी बेड(IS15907:2010) का आकार 12 फुट लम्बाई व 4 फुट चौड़ाई एवं 2 फीट गहरा होना चाहिये।
3. बेड के उपर छाया की व्यवस्था कृषक के स्वंय के स्तर पर की जावेगी।
4. एच.डी.पी.ईवर्मी बेड की आपूर्ति हेतु राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा पंजीकृत फर्मो से निर्धारित दरों पर वर्मी बेड लिये जाने पर ही अनुदान देय होगा।
5. कृषक द्वारा अनुदान/सहायता हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
6. वर्मी बेड लिये जाने के लिए कृषक को प्रार्थना पत्र के साथ कृषक हिस्सा राशि जमा कराई जानी अनिवार्य होगी एवं जिस फर्म से वर्मी बेड ली जानी है उस फर्म का नाम भी अकित करना होगा।
7. इसके पश्चात जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा कृषको की मॉग के अनुसार संबंधित फर्मो को वर्मी बेड की आपूर्ति हेतु आदेश जारी कर कृषको को वर्मी बेड की आपूर्ति सुनिश्चित करेगें।
8. कृषक द्वारा स्वयं के स्तर से वर्मी बेड लिये जाने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को RTGS के माध्यम से किया जा सकेगा। उक्त अनुदान राशि का भुगतान कृषक से बिल प्राप्त होने के 15 दिवस में किया जाना अनिवार्य होगा।
9. प्रत्येक वर्मीबेड में 10 किलो केंचुएं छोड़े जावें। इस प्रकार एक इकाई के लिये कम 10 किलों केंचुए उपलब्ध कराये जावें।

वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने की विधिः

1. सर्वप्रथम कृषक अपने खेत में 30 X 20 फीट समतल भूमि का चयन करें, जो थोड़ी ऊंचाई पर हो जिससे वर्षा का पानी न आ सके।
2. सामान्यतः वर्मी बैड का आकार 15 X 3 फीट प्रयोगात्मक रूप से सही माना गया है। कृषक इस आकार के बेड चयनित भूमि पर बना सकते है।
3. जैविक अवशेष से कांच, पत्थर, धातु के टुकड़े आदि निकालकर अलग करें।
4. गोबर को बैड में डालने से पहले 2–3 दिन तक पानी छिड़कर ठण्डा करें।

5. 15 X 3 फीट के बेड में सर्वप्रथम 6 इंच तक खेत का सड़–गल सकने वाले कचरे की तह बिछाये।
6. उपरोक्त ढेर पर एक पतली परत पूर्व में बनी हुई गोबर या केचुएं के खाद की डाले।
7. इसके पश्चात् दो–तीन दिन पूर्व में तैयार गोबर की गाड़े घोल की एक पतली परत बिछाये एवं पानी से अच्छे प्रकार से छिड़काव करें।
8. इसके पश्चात् इस पर 10 किलोग्राम केंचुएं छोड़े।
9. तत्पश्चात् कूड़े–कचरे की तह बिछाकर गोबर का धोल उपरोक्तानुसार बनाकर छिड़काव करें।
10. इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहे जब तक कि ढेर 1.5 फीट ऊंचा न हो जाये।
11. बेड को केले के पत्ते, टाट या अन्य जैविक अवशेषों से ढक देना चाहिए, क्योंकि केंचुए अंधेरे में अधिक क्रियाशील होते है।
12. इसी प्रकार अन्य बेड तैयार करे एवं इस पूरे क्षेत्र की छाया हेतु स्थायी ढांचा बनाया जावें।
13. वर्मी बेड में 25–30 दिन बाद ट्राइकोडर्मा, एजेक्टोबेक्टर पीएसबी आदि (400 ग्राम प्रत्येक) को 14 लीटर पानी में मिलाकर बेड के ऊपर छिड़काव करने से वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता में सुधार होता है। कृषक इसी समय एक किलोग्राम नीम की खल को मिलाकर भी इसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते है।
14. 30–35 प्रतिशत नमी बनाये रखने के लिये झारे की सहायता से पानी का छिड़काव समय–समय पर करते रहे।
15. लगभग 50–60 दिन में केंचुएं जैविक अवशेषों व गोबर को वर्मी कम्पोस्ट खाद में बदल देंगे।
16. तैयार वर्मी कम्पोस्ट काले भूरे रंग की होगी तथा इसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं होगी।
17. तैयार खाद को छाया में ढेर के रूप में एकत्रित करले, तथा पानी देना बंद कर दे।
18. 5–6 दिन बाद खाद को ऊपर से इकट्ठा कर बोरी में भरकर ठण्डे स्थान पर रखे तथा नीचे बची हुए खाद को छलनी से छान कर केंचुएं को अलग कर ले, जिन्हें अलग से काम में लिया जा सकता है।
19. इस प्रकार प्रक्रिया को दोहरा कर किसान एक ही यूनिट से वर्ष में 4–5 बार वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर लगभग 8–10 टन तक वर्मी कम्पोस्ट पैदा कर सकता है।
20. इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष केंचुएं के संख्या भी करीब दुगुनी से अधिक हो जाती है, जिसे विपणन कर या अन्य इकाईयों में काम लेकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है।

मधुमक्खी पालन (Bee-Keeping):

मधुमक्खी पालन कृषक के लिए अतिरिक्त आय का साधन है। इसके पालन से कृषक को शहद, के साथ–साथ मधुमक्खी कॉलोनी एवं मोम के विक्रय से आमदनी प्राप्त होती है व परपरागण वाली फसलों जैसे सरसों आदि में मधुमक्खी की कॉलोनी रखने से उत्पादन मे भी वृद्धि होती हैं।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा उत्पादित मधुमक्खी की श्रेष्ठ कॉलोनियों को किसानों/मधुमक्खी पालकों को वितरित करवाया जा रहा है। इसके लिये मधुमक्खी की श्रेष्ठ कालोनियों की खरीद को बढ़ावा देने हेतु आठ फ्रेमों वाली प्रति कॉलोनी की दर 2000 रूपये एवं मधुमक्खी पालन बाक्स की कीमत 2000 रूपये निर्धारित की गई है जिस पर 40 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। एक लाभार्थी को अधिकतम 50 कालोनी एवं 50 मधुमक्खी बाक्स अनुदान पर उपलब्ध कराये जा सकते है।

कॉलोनी एवं बॉक्स व्यवस्थाः

मधुमक्खी कॉलोनी एवं मधुमक्खी पालन बॉक्स कृषकों को उपलब्ध कराने के लिये जिलाधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावें–

वांछित कार्यवाही	मधुमक्खी कॉलोनी	मधुमक्खी पालन बॉक्स
स्पेसिफिकेशन	एक मधुमक्खी कॉलोनी में लकड़ी के बने हुए आठ फ्रेम होते है जो एपिस मैलीफेरा प्रजाति की मधुमक्खियों के अण्डा, लार्वा, प्यूपा, एक गर्भित रानी से भरे रहते है। इनमें से कम से कम एक फ्रेम में (70 से 80 प्रतिशत तक) प्यूपा, एक में अण्डा लार्वा (70 से 80 प्रतिशत तक) भरे होने चाहिए तथा फ्रेम में शहद भी हो।	एक मधुमक्खी पालन बॉक्स में 20 फ्रेम (खाली) होते हैं जो कि डबल स्टोरी होता है। इसके नीचे के खण को ब्रूड व ऊपर के खण को हनी चैम्बर कहते हैं। दोनों में 10–10 फ्रेम लगे होते है। हनी चैम्बर के ऊपर ढक्कन लगा होता है। मधुमक्खी पालन बॉक्स के स्पेशिफिकेशन IS 1141, IS 299 एवं IS 1150 के अनुसार सुनिश्चित किये जावे।
केटेगिरी एवं सीमा	योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला कृषक, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कृषक/मधुमक्खी पालको को लाभान्वित करने में वरीयता दी जावें। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50 कॉलोनी तक अनुदान दिया जा सकता है।	योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला कृषक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कृषक/मधुमक्खी पालक को लाभान्वित करने में वरीयता दी जावें। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50 बॉक्स तक अनुदान दिया जा सकता है।
विभागीय अनुदान	कॉलोनी के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 800 जो भी कम हो अनुदान देय होगा।	मधुमक्खी पालन बॉक्स के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 800 जो भी कम हो अनुदान देय होगा।
कॉलोनी बॉक्स	कॉलोनी की व्यवस्था करने के लिये	मधुमक्खी पालन बॉक्स की व्यवस्था

व्यवस्था	संबंधित जिलाधिकारी लघु विज्ञप्ति जारी कर मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर्स (बी–ब्रीडर्स) की जिला मुख्यालय दर आंमत्रित कर बी–ब्रीडर पंजिकृत करेंगे, व जिले के लिए प्राप्त न्यूनतम दर पर अनुदान की गणना कर अनुदान उपलब्ध कराया जावें। कृषक किसी भी पंजीकृत सप्लायर से मधुमक्खी कॉलोनी प्राप्त कर सकेगा, लेकिन अनुदान गणना न्यूनतम दर को आधार मानकर की जायेगी। जिले में मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर्स उपलब्ध नहीं होने या लक्ष्य के अनुरूप सप्लायर्स के पास कॉलोनीयां उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर को अवगत करायेंगे, ताकि सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर अपने जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों के लिए भी मधुमक्खी कॉलोनी उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कर सके। सहायक निदेशक उद्यान विभिन्न जिलों हेतु विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप एफ.ओ.आर. दरें प्राप्त कर बी–ब्रीडर्स पंजीकृत करेंगे। दरें पंजीकृत करते समय संबंधित जिलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जावें।	संबंधित जिलाधिकारी लघु विज्ञप्ति जारी कर मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर्स की जिला मुख्यालय दर आंमत्रित कर सप्लायर्स को पंजिकृत करेंगे, व जिले के लिए प्राप्त न्यूनतम दर पर अनुदान की गणना कर अनुदान उपलब्ध कराया जावें। यह उललेखनीय है कि कृषक किसी भी पंजीकृत सप्लायर से मधुमक्खी पालन बॉक्स प्राप्त कर सकेगा, लेकिन अनुदान गणना न्यूनतम दर को आधार मानकर की जायेगी। जिले में मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर्स उपलब्ध नहीं होने या लक्ष्य के अनुरूप सप्लायर्स के पास बॉक्स उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर को अवगत करायेंगे ताकि सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर अपने जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों के लिए भी मधुमक्खी पालन बॉक्स उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कर सके। ऐसी स्थिति में सहायक निदेशक उद्यान विभिन्न जिलों हेतु विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप एफ.ओ. आर. दरें प्राप्त कर बॉक्स सप्लायर्स पंजीकृत करेंगे। दरें पंजीकृत करते समय संबंधित जिलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जावें।
पंजीकरण शुल्क	मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर (बी–ब्रीडर्स) की संख्या बढ़ाने हेतु जिले में ज्यादा से ज्यादा बी–ब्रीडर पंजीकृत किये जावें। प्रत्येक बी–ब्रीडर्स से राशि रूपये 1000 पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जावें, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी।	प्रत्येक मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर से राशि रूपये 1000 पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जावें, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी।
सिक्यूरिटी राशि	पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त समूचित बैंक गारंटी/प्रतिभूति राशि भी प्रत्येक बी–ब्रीडर्स से जमा कराई जाये जो कि आर.एच.डी.एस. के वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुरूप होगी। कॉलोनी का कोई विवाद होने पर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा	पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त समूचित बैंक गारंटी/प्रतिभूति राशि भी प्रत्येक मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर से जमा कराई जाये जो कि आर.एच.डी.एस. के वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुरूप होगी। बॉक्स का कोई विवाद होने पर

	जाता है तो उसकी फीस संबंधित आपूर्तिकर्ता से वसूल की जावेगी।	जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाता है तो उसकी फीस संबंधित आपूर्तिकर्ता से वसूल की जावेगी।
सत्यापन	कृषको को मधुमक्खी कॉलोनी उपलब्ध कराते समय विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप मधुमक्खी कॉलोनी है या नहीं का सत्यापन संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत प्रतिशत किया जावें। इसी प्रकार 65% सहायक कृषि अधिकारी, 40% कृषि अधिकारी, 2% सत्यापन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावें।	कृषको को मधुमक्खी पालन बॉक्स उपलब्ध कराते समय विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप बॉक्स है या नहीं का सत्यापन संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत प्रतिशत किया जावें। इसी प्रकार उपलब्ध कराई गई मधुमक्खी पालन बॉक्स का 65%सहायक कृषि अधिकारी, 40%कृषि अधिकारी, 2% सत्यापन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावेगा।
मधुमक्खी प्रजाति निरीक्षण कमेटी	मधुमक्खी की वांछित प्रजाति कृषकों को उपलब्ध कराने के लिये समय–समय पर पंजीकृत बी–ब्रीडर्स एवं लाभांन्वित कृषकों का निरीक्षण किया जावें। इस हेतु जिले के सहायक निदेशक उद्यान व जिले/संभाग में स्थित ए.टी.सी/के.वी.के./अनुसंधान केन्द्र/सयुंक्त निदेशक उद्यान (कीट) में से किसी एक कीट वैज्ञानिक को लेकर सत्यापन किया जावें।	
अनुदान भुगतान	सत्यापन पश्चात् समय पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को किया जावें।	सत्यापन पश्चात् समय पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को किया जावें।

अनुदान प्रक्रियाः

मधुमक्खी पालक को उच्च गुणवत्ता की मधुमक्खी कॉलोनी समय पर मिले इसके लिए 30 दिसम्बर की समय सीमा के अन्दर मधुमक्खी कॉलोनियों का वितरण किया जावें।

मधुमक्खी पालक माइग्रेशन पर जाने से पूर्व अपने जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान के यहां अपना निःशुल्क पंजिकरण कराकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें, ताकि सफर में अनावश्यक विलम्ब न हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के दिशा–निर्देश एवं सर्टिफिकेट का प्रारूप क्रमशः परिशिष्ट 9 से 10 पर संलग्न है।

उद्यानिकी में यांत्रिकरण

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत उद्यानिकी में यांत्रिकरण कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है, ताकि खेती में काम आने वाले मजदूरों की लागत को कम किया जाकर उत्पादकता में वृद्वि की जा सके। इस कार्यक्रम के तहत शक्ति चलित उपकरणों पर सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। यह अनुदान कृषकों के अतिरिक्त उत्पादक सघं, कृषक समूह, स्वयं सहायता समूह, महिला कृषक समूह जिनके कम से कम 10 सदस्य हो एवं जो कि उद्यानिकी फसलों की खेती करते हों, को भी उपलबध कराई जा सकती हैं। उत्पादक सघं, कृषक समूह, स्वयं सहायता समूह, महिला कृषक समूह को उद्यानिकी उपकरण उनकी हिस्सा राशि लेकर उपलबध कराये जावेगें एवं उनके साथ एक उद्यानिकी उपकरणों की देखरेख तथा उनके प्रयोग हेतु एक अनुबन्ध किया जावेगा।

इस कार्यक्रम के तहत देय अनुदान निम्नानुसार है–

क्र. सं.	कार्यक्रम	कुल लागत	देय अनुदान
1	ट्रेक्टर (20 बी. एच.पी. तक) रोटावेटर / उपकरण सहित	रूपये 3.00 लाख प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 75000/– प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 100000/– प्रति उपकरण
2	ट्रेक्टर / पावरचलित मशीन(20 बी.एच.पी. तक)		
	(अ) भूमि विकास, जोत एवं सीड बेड तैयारी उपकरण	रूपये 30000/– प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 12000/– प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 15000/– प्रति उपकरण
	(ब) बुवाई, रोपाई एवं खुदाई उपकरण	रूपये 30000/– प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 12000/– प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 15000/– प्रति उपकरण
	(स) प्लास्टिक मल्च बिछाने की मशीन	रूपये 70000/– प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 28000/– प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 35000/– प्रति उपकरण
	(द) स्वचालित बागवानी मशीनरी	रूपये 2.50 लाख प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 100000/– प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 125000/– प्रति उपकरण

अनुदान प्रक्रियाः

1. योजनान्तर्गत प्रत्येक कृषक को एक उपकरण पर ही अनुदान देय होगा।
2. उद्यानिकी फसल उत्पादन के लियें कृषक/कृषक समूह/स्वयं सहायता समूह/महिला कृषक समूह को उपरोक्तानुसार अनुदान देय है।

3. ट्रेक्टर (20 बी.एच.पी. तक) रोटावेटर/उपकरण सहित कार्यक्रम हेतु लाभार्थी के पास उपकरणों पर सहायता प्राप्त करने के लिए स्वयं का कम से कम एक वर्ष पुराना न्यूनतम 2 हेक्टेयर फल बगीचा स्थापित होना आवश्यक है। अन्य उपकरणों पर अनुदान लिये जाने हेतु वे कृषक पात्र होगें जो कि उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे है।
4. अनुदान हेतु आवेदन पत्र जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को प्रस्तुत किये जावेगें।
5. यांत्रिकरण हेतु आवश्यक उपकरण लिये जाने हेतु कृषक को प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक फर्म का कोटेशन भी लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यह शपथ पत्र भी देना होगा कि उनके स्वयं के पास निर्धारित क्षेत्रफल में फल बगीचा स्थापित है।
6. योजनांतर्गत मैकेनाइजेशन कार्यक्रम के तहत पावर मशीनस् मय उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु चयनित किये गये कृषकों/आवेदकों द्वारा पावर मशीनस् मय उपकरण का विभाग द्वारा चयनित प्रतिष्ठित निर्माता फर्मस/इस हेतु जारी निर्देशानुसार क्रय करने पर अनुदान उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाये।
7. योजना कार्यक्रम के तहत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाने वाले पावर मशीनस् व चिन्हित उपकरण आईएसआई/आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हो।
8. कार्यक्रम कियान्वयन हेतु राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के संस्करणों में विज्ञापन जारी करवाये अनुसार निर्धारित तिथियों में प्रचार–प्रसार करते हुये विज्ञापन में उल्लेखित तिथियों के अनुसार जिला मुख्यालय स्थित संबंधित कार्यालय द्वारा योजना में आवंटित लक्ष्यों के अनुसार उनके स्तर पर आवेदन पत्र जमा करने व अनुदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अपनायी जाये।
9. निर्धारित अवधि तक जिलाधिकारियों के पास प्राप्त आवेदन पत्रों में से जिले को आवंटित लक्ष्यों के अनुसार आवेदकों का चयन लॉटरी के माध्यम से प्राथमिकता (पहली लॉटरी पहला नम्बर) तय करते हुये किया जाये।
10. कार्यक्रम हेतु निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जिला मुख्यालय स्तर पर लॉटरी के लिये तीन सदस्यीय कमेटी का गठन जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी की अध्यक्षता में करवायी जावें तथा लॉटरी की तिथि व समय के बारे में आवेदन प्रस्तुत करने वाले सभी कृषकों को सूचित किया जावे।
11. निर्धारित तिथि व समय पर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी की अध्यक्षता में उपस्थित आवेदक कृषकों के सामने कमेटी द्वारा लॉटरी के माध्यम से कृषकों का चयन किया जाकर क्रमवार चयनित कृषकों (पहली लॉटरी पहला नम्बर) के अनुसार सूची तैयार की जाये।
12. लॉटरी द्वारा चयनित कृषकों की सूची में से जिले को आवंटित लक्ष्यों के अनुसार वरियता के आधार पर (पहली लॉटरी पहला नम्बर) कृषकों को पावर मशीनस् मय उपकरण क्रय करने के लिये 15 दिवस का समय दिया जाये। इसके साथ ही चयनित क्रम में नीचे वाले अन्य कृषकों को उसी समय सूचित करके रखा जाये कि यदि चयनित कृषकों द्वारा निर्धारित अवधि में पावर मशीनस् मय उपकरण क्रय

करके सूचित नहीं किया जायेगा तो उस अवधि के बाद में आगामी 7 दिन में अगली वरियता के कृषकों को अवसर दिया जायेगा।

13. लॉटरी द्वारा चयनित कृषकों/आवेदकों द्वारा स्वयं के स्तर से पावर मशीनस् मय उपकरण क्रय किया जाकर मूल बिल जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को प्रस्तुत किया जाये।
14. जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा चयनित आवेदक द्वारा क्रय किये गये पावर मशीनस् मय उपकरण का तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा विज्ञापन में उल्लेखित तिथियों की अवधि में भौतिक सत्यापन करवाया जाकर योजना दिशा–निर्देशों में उल्लेखित अनुसार लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत बिल के सापेक्ष नियमानुसार अनुदान राशि लाभार्थी के खाते/बैंक ऋण खाते में ''RTGS'' से हस्तांतरित की जाये।
15. जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान पावर मशीनस् मय उपकरण जिस पर योजना के तहत अनुदान राशि उपलब्ध करायी जा रही के ऊपर ''राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2014–15 से अनुदानित'' अंकित करवाया जाये जो अमिट हो।
16. योजना के तहत लाभान्वित किये जा रहे प्रत्येक लाभार्थी का यंत्र व उपकरण के साथ फोटोग्राफ लिया जाये जिसे भौतिक सत्यापन हेतु गठित कमेटी द्वारा सत्यापित किया जाये।
17. लाभार्थी से 100 रूपये के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र लिया जाये कि वह अनुदानित पावर मशीनस् व उपकरणों न्यूनतम 5 वर्ष तक विक्रय नहीं करेगा।
18. उपकरण क्रय किये जाने के पश्चात संभागीय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान एवं कृषि अधिकारी की कमेटी द्वारा क्रय किये गये उपकरण एवं कृषक के पास स्थापित फल बगीचों का भौतिक सत्यापन किया जावेगा। भौतिक निरीक्षण के पश्चात कृषक को अनुदान जारी किया जावेगा। उक्त अनुदान कृषक की सहमति के उपरान्त अनुदान सीधें ही फर्म को भी किया जा सकता है।

मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (Human Resource Development Programme):

प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से मानव संसाधन विकास राष्ट्रीय बागवानी मिशन का एक महत्वपर्ण हिस्सा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों, फील्ड स्तर के कार्मिको तथा अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम सम्मिलित है। फसल की उच्च पैदावार वाली किस्मों तथा कृषि प्रणाली के अपनाने हेतु किसानों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राज्य के बाहर भी आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु 1000/– रूपये प्रति कृषक प्रति दिन की दर से राशि व्यय की जा सकेगी। कार्यक्रम कार्यान्वयन से जुड़े कार्मिकों तथा फील्ड स्तर के वे कर्मचारी जो किसानों को प्रशिक्षित/गाईड करने वाले स्टाफ से संबंधित है इनके लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएंगे।

प्रशिक्षण के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यकलाप किसानों को संसाधन सामग्री प्रदान करना और प्रदर्शनी तथा प्रदर्शनों के माध्यम से इन्हें विभिन्न कृषि तकनीकों के बारे में प्रबुद्ध रूप से जानकार बनाना है। इसकी व्यापक और सम्पर्ण प्रतिभागिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रचार की भी जरूरत होगी।यह कार्यकलाप निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के साथ–साथ राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी के स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने पर एन जी ओ द्वारा भी किए जा सकेंगें। सफलतम एवं प्रगतिशील किसानों के खेतों को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में उपयोग में लाया जाएगा।

कृषक प्रशिक्षण (Farmers Training)

सामान्य निर्देश:

1. प्रशिक्षण प्रावधान अनुसार दो दिवसीय होगे व प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 कृषक भाग लेंगे।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि अनुसंधान केन्द्र/एटीसी/ या अन्य स्थान जहां प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध है पर आंवटित लक्ष्यो के अनुसार आयोजित करवाया जावें।
3. प्रशिक्षण के समय व तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें। राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रशिक्षण आयोजन की तिथि की सूचना दी जावें।
4. फसल/विषय विशेष पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषकों को विषयवस्तु की गहनता से जानकारी दी जावें।
5. प्रशिक्षण एक से अधिक दिन की अवधि का होने पर कृषकों को रात्री विश्राम प्रशिक्षण स्थल पर ही कराया जावें। कृषकों को रात्री में विडियो फिल्मस प्रदर्शन के माध्यम से भी कृषि तकनीक की जानकारी दी जावें।
6. जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन हेतु वित्तीय प्रावधानों का मदवार विवरण जिला स्तर पर बनाया जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावेगें।
7. प्रशिक्षण के दौरान किसी एक मद के व्यय में बचत आती है तो दूसरे मद में आवश्यकता होने पर बचत राशि काम में ली जा सकती है किन्तु इस बात का ध्यान रखा जावें कि प्रशिक्षण व्यय निर्धारित राशि से अधिक नहीं होवें।
8. जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु साकेंतिक माडल परिशिष्ठ 11 पर संलग्न है।

कृषक चयनः

1. कृषक चयन संबंधित जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावें। इसके लिये इफ्को/सहकारी बैंक/एन.जी.ओ./भूमि विकास बैंक आदि का भी सहयोग लिया जा सकता है।
2. कृषक चयन में नये फल बगीचे लगाने वाले/राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्यक्रम लेने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
3. प्रशिक्षणो के द्वारा समय–2 परयथासम्भव जिले की सभी पंचायत समितियों के कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जावें। फसल विशेष के प्रशिक्षण में प्रगतिशील कृषक जिनके द्वारा उक्त फसल ली जा रही है तथा अन्य कृषक जिनको उद्यानिकी फसलों हेतु प्रेरित किया जा सके को सम्मिलित किया जावें।
4. कृषकों के चयन में कुछ ड्रिप सिस्टम अपनाने वाले कृषकों का समावेश किया जावें, ताकि आपसी संवाद से इसकी उपयोगिता को समझ सके।
5. पशुपालन एवं डेयरी के व्यवसाय से जुड़े कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने वाले कृषकों को भी शामिल किया जावें।
6. ऐसे कृषक जो विभाग द्वारा पूर्व में इस विषय पर प्रशिक्षित किये जा चुके हो, को सम्मिलित नहीं किया जावें।

प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने वाले व्याख्यान बिन्दुः

प्रशिक्षण में संबंधित तकनिकी विषय के साथ–साथ जमीन, जल एवं जन से जुड़े विषयों पर जानकारी दी जावें। प्रत्येक प्रशिक्षण में निर्धारित विषय के साथ उस क्षेत्र की मुख्य–मुख्य उद्यानिकी फसलों के लिये जल प्रबंधन, कीट व्याधी नियंत्रण, फसलोत्तर प्रबंधन एवं बीज उत्पादन आदि के साथ निम्न बिन्दुओं के बारे में भी सामान्य जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जावें।

1. मिट्टी की जांच की आवश्यकता, फसलचक्र की आवश्यकता एवं उससे लाभ, भूमि सुधार, जीवाणु खाद, हरीखाद, जिप्सम, सूक्ष्म त्तव, ट्राईकोड्रमा, राइजोबियम, एजेक्टोबेक्टर एवं पीएसबी का प्रयोग।
2. जल पुनर्भरण, जल उपलब्धता एवं उसका समुचित उपयोग ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्रों का महत्व (सिंचाई विभाग के अधिकारियों, ड्रिप, फव्वारा निर्माता द्वारा पी.एच., ई.सी. जमीन से जल का रिश्ता)।
3. उद्यानिकी फसल उत्पादन।
4. कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा देय सुविधायें।
5. रोग, उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी।
6. पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, पौष्टिक आहार, रोग उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी।
7. सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी।
8. प्रशिक्षण दौरान प्रगतिशील कृषकों के भी विचारों की जानकारी उक्त कृषकों को दी जावें।

नोटः प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कृषकों का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान/उप निदेशक कृषि (वि) कार्यालय में रखे जावें तथा समय–समय पर उनसे दूरभाष पर सर्म्पक भी किया जावें, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो सके।

समन्वित फसलोत्तर प्रबधंन (Post Harvest Management):

फसल तुड़ाई उपरांत प्रबधंन में पैकेजिंग, ग्रेडिंग, परिवहन, संसाधन और पकाई तथा भण्डारण शामिल है। ये सुविधाएं बागवानी उत्पादन की विपणनता को बढ़ाने, उत्पाद के मूल्यवर्धन, लाभप्रदता को बढ़ाने और हानि कम करने के लिए आवश्यक है। इसके लिये बागवानी भण्डारण, परिवहन, विपणन, पैकेजिंग और ग्रेडिंग तथा निर्यात के लिए बुनियादी ढाचें संबंधी सुविधाओं के नेटवक्र की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। इसमें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन एच बी), विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी एम आई) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) की मौजदूा स्कीमें अधिकतम सभंावित सीमा तक उपयोग में लाई जाएगी।

इस संदर्भ में विशिष्ट कार्यक्रम जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत शुरू किए गये है, उनमें पैक हाउस, समन्वितपैक हाउस की स्थापना, प्री–कूलिंग यूनिट, रेफ्रीजरेटेड वेन, शीत भण्डारण इकाईयां, प्राथमिक/चल प्रसंस्करण इकाई, राईपनिंग चेम्बर एवं कम लागत के प्याज भण्डारण संरचना शामिल है। ये सभी परियोजनाएं वाणिज्यिक स्कीमों के माध्यम से उद्यमियों द्वारा चलाई जाएगी, जिसके लिए योजनान्तर्गत सहायता क्रैडिट लिंक बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप (जमा से जुड़ी वापिसी आर्थिक सहायता) देय होगी। राज्य सरकार की एजेंसियां भी ऐसी गतिविधियों के लिए इसी सीमा तक सहायता की पात्र होगी। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियां, उत्पादक संघ, कृषक समूह, स्वयं सहायता समूह, महिला कृषक समूह जिनके न्यनतम 25 सदस्य हों एवं वे पंजीकृत हो, उनको भी कार्यक्रम के प्रावधानुसार निम्नानुसार सहायता देय होगी।

फसलोत्तर प्रबधंन

कम्पोनेन्ट	अनुमानित लागत	अनुदान
पैक हाउस/खेत संग्रहण इकाई (9 मीटर X 6 मीटर)	रूपये 4.00 लाख प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत
समन्वितपैक हाउस (कनवेयर बेल्ट, छंटाई, ग्रेडिंग इकाईयों, धोने, सुखाने और वजन के लिये सुविधाओं के साथ 9 मीटर X18 मीटर)	रूपये 50.00 लाख प्रति इकाई	लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड)
प्री–कुलिंग इकाई	रूपये 25.00 लाख (6 मैट्रिक टन क्षमता)	लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड)
कोल्ड स्टोरेज (5000 मै.टन हेतु)	रूपये 8000/– प्रति मै.टन	लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड)
रेफ्रीजरेटेड वेन	रूपये 26.00 लाख (9 मैट्रिक टन क्षमता)	लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड) 4 मैट्रिक टन क्षमता से कम नही।
प्राथमिक/मोबाईल/न्यून प्रसंस्करण इकाई	रूपये 25.00 लाख प्रति इकाई	लागत का 40 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड)
राइपनिंग चेम्बर (300 मै.टन तक)	रूपये 1.00 लाख प्रति मै.टन	लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड)
कम लागत प्याज भण्डारण संरचना (25 मै.टन)	रूपये 1.75 लाख प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत

पैक हाउस :

सब्जी एंव फलदार फसलों के उत्पादन को उचित तरीके से पैक कर बाजार में भिजवाये जाने हेतु पैक हाउस की स्थापना के लिए योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है–

1. कृषक जोकम से कम 1 हैक्टेयर क्षैत्र में सब्जी उत्पादन या 1 हैक्टेयर क्षैत्र में तीन वर्ष से पुराना फल बगीचा स्थापित होएवं पैक हाउस लगाकर उद्यानिकी फसलों की ग्रेडिगं एवं पैकिंग करना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जा सकेगा।
2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम एक पैक हाउस के लिये अनुदान देय होगी।
3. पैक हाउस की निर्माण लागत 4.00 लाख निर्धारित की गई है जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
4. पैक हाउस निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना–पत्र के साथ कृषक को भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
5. पैक हाउस निर्माण पत्रावली पर कृषक का पैक हाउस के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. पैक हाउस का निर्माण कृषक के द्वारा स्वयं किया जावेगा। पैक हाउस की निर्माण एवं पैक हाउस हेतु आवश्यक उपकरण की सांकेतिक लागत का माडल परिशिष्ठ–12 पर संलग्न है।
7. पैक हाउस निर्माण के पश्चात भौतिक सत्यापन हेतु जिला स्तर पर गठित कमेटी जिसमें सदस्य सचिव, जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, कृषि अधिकारी एवं सहायक कृषि अधिकारी शामिल होगें के द्वारा किया जावेगा।
8. उक्त कमेटी की भौतिक सत्यापन रिर्पोट के आधार पर लाभार्थी को अनुदान की राशि RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।
9. पैक हाउस पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

समन्वित पैक हाउसः

सब्जी एंव फलदार फसलों के उत्पादन को उचित तरीके से पैक कर बाजार में भिजवाये जाने हेतु समन्वितपैक हाउस की स्थापना हेतु योजनान्तर्गत क्रैडिट लिंक बैंक एंडिड के रूप में अनुदान उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है–

1. समन्वित पैक हाउस की स्थापना कनवेयर बेल्ट, छंटाई, ग्रेडिंग इकाईयों, धोने, सुखाने और वजन के लिये सुविधाओं के साथ 9 मीटर X 18 मीटरआकार में निर्माण किया जावेगा।
2. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के साथ बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (कार्यक्रम/कम्पोनेन्ट पर लागू होने की स्थिति में), भू–स्वामित्व दस्तावेज, भू–स्वामित्व का प्रमाण व अन्य किसी संस्था से अनुदान प्राप्त नहीं किया के शपथ–पत्र सहित आवेदन पत्र जिला होटींकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी की अभिशंषा के साथ राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।

3. समन्वित पैक हाउस की स्थापना के लिये आवश्यक (यदि कोई हो) सभी तरह के कानूनी/विधिक दस्तावेजों के पूर्ण पालना की आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
4. कार्यक्रमों के परियोजना प्रस्ताव की भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।
5. क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाओं में लाभार्थी को परियोजना की लागत का लगभग 75 प्रतिशत तक का ऋण लेना अनिवार्य होगा।
6. प्रशासकीय स्वीकृति के उपरान्त लाभार्थी द्वारा स्वयं की हिस्सा राशि एवं बैक ऋण द्वारा निर्माण कार्य एवं आवश्यक उपकरण को लगाया जाकर परियोजना पूर्ण की जावेगी। उक्त समस्त कार्य प्रशासकीय स्वीकृति के छः माह के अन्दर सम्पन्न करने होगें।
7. परियेाजना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा क्रियान्वित किये गये समस्त कार्यो के समस्त बिलो की प्रतियों सहित कार्य पूर्ण होने से जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अवगत कराया जावेगा। इसके पश्चात परियोजना प्रस्तावों के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशालय स्तर से गठित कमेटी द्वारा परियोजना का भौतिक सत्यापन किया जावेगा। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत अनुदान राशि को लाभार्थी के बैक खाते में स्थानान्तरित किया जावेगा।
8. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात् बेक एंडिड प्रक्रिया से अंत में समायोजित की जायेगी।
9. समस्त स्वीकृत इकाइयों के बाहर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदानित, स्थापना/कार्य पूर्ण होने का वर्ष, कुल लागत, देय अनुदान आदि के विवरण का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

कोल्ड स्टोरेजः

फसल उत्पाद को नियंत्रित वातावरण में भण्डारित करके तरो–ताजा बनाये रखने के लिये मल्टी चैम्बर शीत गृहों के निर्माण पर क्रैडिट लिंक बैंक एंडिड सब्सिडी के रूप में अनुदान देय है।

1. शीत गृह आवश्यक रूप से मल्टी चेम्बर,250 मैट्रिक टन से अधिक क्षमताएवं आधुनिक तकनीक से बने होने चाहिये तथा ये शीत गृह थर्मल इन्सूलेशन, आद्रता नियंत्रण, आधुनिक कूलिंग प्रणाली एवं आटोमेशन से युक्त होने चाहिये ताकि ये उर्जा संरक्षण में लाभदायक हो सके।
2. इनके स्पेशीफिकेशन एवं मापदण्ड कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा इसके लिये समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशानुसार एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होने आवश्यक है।
3. प्रशीतन उपकरण आधुनिक तकनीक के होने चाहिये जो कि शीत गृह के अन्दर विभिन्न तापमान स्तर को नियंत्रित कर सके एवं वातारवण सहयोगी होने चाहियें।
4. कम्प्रेसर मल्टी सिलेन्डर, स्क्रू टाईप एवं उपयुक्त क्षमता का होना चाहिये।
5. उर्जा के उपयोग को कम करने तथा प्रभावी शीतलन समय को कम करने के लिए कन्डेन्सर उपयुक्त प्रकार का होना चाहिये।

6. शीतगृह की बाहरी तरफ उपयुक्त थर्मल इन्सूलेशन एवं अन्दर की तरफ उपयुक्त क्लेडिंग मैटेरियल का प्रयोग किया जाना चाहिये। इन्सूलेशन के मापदण्ड आईएस 661:2000 के अनुरूप तथा इन्सूलेशन का प्रयोग आईएस 661 एवं आईएस 13205 के अनुसार होना चाहिये।
7. शीतगृहों के रखरखाव एवं संचालन हेतु योग्यताधारी एवं दक्ष कार्मिकों की सेवाऐं ली जानी चाहिये।
8. शीतगृहों के अन्तर्गत चेम्बर >250 मे.टन के होने चाहिये।
9. प्रत्येक चेम्बर में तापमान एवं आद्रता हेतु उपयुक्त नियत्रिंत उपकरण लगे होने चाहिये।
10. शीतगृहो में बेग अथवा बॉक्स में पर्याप्त भण्डारण हेतु उपयुक्त तल होने चाहिये एवं विभिन्न तलों में उपयुक्त दूरी होनी चाहिये।
11. शीत गृहों में प्रसस्करण हेतु निर्धारित क्षेत्र होना चाहिये ताकि यात्रिंक छटाई, ग्रेडिंग, धुलाई एवं पैकिंग के उपकरण भी लगाये जा सके।
12. परियोजना प्रस्तावों में गणना की गयी जमीन की कीमत परियोजना लागत की 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। गणना की गयी जमीन की कीमत उद्यमी की मार्जिन मनी के रूप में मानी जावें। उद्यमी द्वारा क्रय किये जाने पर ही जमीन लागत की गणना परियोजना प्रस्ताव में सम्मिलित की जावें।
13. जमीन की कीमत क्रय की गयी दर से होनी चाहिए न की बाजार की दरों पर तथा परियोजना के लिये काम मे आने वाली जमीन की कीमत ही परियोजना प्रस्ताव मे शामिल की जावें।

अनुदान प्रक्रियाः

1. फसलोत्तर प्रबधंन सुविधाओं के लिये विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के साथ बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (कार्यक्रम/कम्पोनेन्ट पर लागू होने की स्थिति में), भू–स्वामित्व दस्तावेज, भू–स्वामित्व का प्रमाण व अन्य किसी संस्था से अनुदान/सहायता प्राप्त नहीं किया के शपथ–पत्र सहित आवेदन पत्र जिला होटींकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी की अभिशंषा के साथ राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।
2. फसलोत्तर प्रबन्धन इकाईयों की स्थापना के लिये आवश्यक (यदि कोई हो) सभी तरह के कानूनी/विधिक दस्तावेजों के पूर्ण पालना की आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
3. कार्यक्रमों के परियोजना प्रस्ताव की भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।
4. क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाओं में लाभार्थी को परियोजना की लागत का लगभग 75 प्रतिशत तक का ऋण लेना अनिवार्य होगा।
5. लाभार्थी द्वारा स्वयं की हिस्सा राशि एवं बैक ऋण द्वारा निर्माण कार्य एवं आवश्यक उपकरण को लगाया जाकर परियोजना पूर्ण की जावेगी। उक्त समस्त कार्य इस हेतु भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार करने होंगे ।
6. परियेाजना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा क्रियान्वित किये गये समस्त कार्यो के समस्त बिलो की प्रतियों सहित कार्य पूर्ण होने से जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अवगत कराया जावेगा। इसके पश्चात परियोजना प्रस्तावों

के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशालय स्तर से गठित कमेटी द्वारा परियोजना का भौतिक सत्यापन किया जावेगा। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत अनुदान राशि को लाभार्थी के बैक खाते में स्थानान्तरित किया जावेगा।

7. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात् बेक एंडिड प्रक्रिया से अंत में समायोजित की जायेगी।
8. समस्त स्वीकृत इकाइयों के बाहर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदानित, स्थापना/कार्य पूर्ण होने का वर्ष, कुल लागत, देय अनुदान आदि के विवरण का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना :

राज्य में प्याज की फसल के उचित भण्डारण हेतु कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण हेतु योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है–

1. कृषक जो प्याज की खेती कर रहे है एवंकम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण करना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जा सकेगा।
2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम एक संरचना के लिये अनुदान/सहायता देय होगी।
3. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना की निर्माण लागत 1.75 लाख निर्धारित की गई है जिस पर 50 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 0.875 लाख अधिकतम सहायता का प्रावधान है। यह निर्माण स्थायी प्रकृति का होगा।
4. आवेदन कृषक के स्वयं के नाम भू स्वामित्व होना आवश्यक होगा।
5. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना–पत्र के साथ कृषक को भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होगें, जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
6. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण की पत्रावली पर कृषक सरंचना के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण कृषक के द्वारा स्वयं किया जावेगा। कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना की निर्माण की डिजाईन एवं सांकेतिक लागत का विवरण परिशिष्ठ 13 एवं 14 पर संलग्न है।
8. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण के पश्चात भौतिक सत्यापन हेतु जिला स्तर पर गठित कमेटी जिसमें सदस्य सचिव, जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, कृषि अधिकारी एवं सहायक कृषि अधिकारी शामिल होगें के द्वारा किया जावेगा।
9. उक्त कमेटी की भौतिक सत्यापन रिर्पोट के आधार पर लाभार्थी को अनुदान की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।
10. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

बाजार के बुनियादी ढांचें का सृजन/विकास
(Establishment of Marketing Infrastructure):

विपणन के कार्यक्रम भी परियोजना पर आधारित है। राज्य मिशन की कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के बाद भारत सरकार की एनएचएम कार्यकारिणी समिति को परियोजना की व्यवहार्य परियोजनाएं प्रस्तुत की जाएगी। इस घटक के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य–

1. बागवानी कमोडिटी के लिए विपणन के बुनियादी ढाचें के विकास में निजी और सहकारी क्षेत्रों से निवेश करवाना।
2. थोक बाजार, ग्रामीण हाट्स सहित मौजूदा बागवानी बाजारों का सुदृढ़ीकरण।
3. किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए फार्म/बाजार स्तर पर बागवानी उत्पाद की ग्रेडिंग, मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर ध्यान केन्द्रित करना।
4. बाजार संबंधी कृषि क्रियाओं सहित ठेके पर कृषि के बारे में किसानों उपभाक्ताओं उद्यमियों और बाजार कार्यकर्त्ताओं के बीच सामान्य जानकारी तैयार करना।

सहायता मापदण्डः

1. खुदरा बाजार/आउट लेट (नियंत्रित वातावरण) की स्थापना करने पर राशि रूपये 15.00 लाख प्रति इकाई की लागत निर्धारित की गई है जिस पर 35 प्रतिशत अनुदानक्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड के रूप में देय है। इस हेतु विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के साथ बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (कार्यक्रम/कम्पोनेन्ट पर लागू होने की स्थिति में), भू–स्वामित्व दस्तावेजव अन्य किसी संस्था से अनुदान/सहायता प्राप्त नहीं किया के शपथ–पत्र सहित आवेदन पत्र जिला होटींकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी की अभिशंषा के साथ राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।

1. संग्रह, छटाई/ग्रेडिंग, पेकिंग इकाईकी स्थापना हेतु परियोजना लागत राशि रूपये 15.00 लाख प्रति इकाई की लागत निर्धारित की गई है जिस पर 40 प्रतिशत सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड के रूप में देय है।

सेमीनार/वर्कशॉप (Seminar/ Workshop):

विभिन्न उद्यानिकी कार्यक्रमों की कृषकों को अधिक से अधिक जानकारी देने एवं उद्यानिकी गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उद्यमियों को कृषकों से जोड़े जाने के लिये राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय सेमीनार/वक्रशॉप्स का आयोजन किया जाना है। सेमीनार/वक्रशॉप का आयोजन जिला विशेष की आवश्यक्ता के मध्येनजर विषय का चयन किया जाकर किया जा सकेगा। इस हेतु आवश्यक साकेंतिक माडल परिशिष्ठ 15 पर संलग्न है।